centric foreign policy in the Modi Government, and certainly, today, facilitating faster issue of visas would be very, very high among our priorities. Finally, on the MT Heroic Idun ship, the one in Nigeria, even though it is not a policy issue, as my colleague recognized, I would like the Member to know, we have been in touch with the crew since August. The people were initially detained in Equatorial Guinea, they were then brought to Nigeria. They are facing charges in court. There are a number of charges including oil smuggling against them. We have given them counselor support. Our High Commissioner has gone to see them. It is, again, our endeavour to ensure that they are not unjustly treated, that they have full access to all recourse of law and that they have the ability to communicate with their families. The last point was about the loss of jobs -- how many Indians are there abroad? Our estimate is that there are 3.2 crore persons of Indian origin and Indian nationals living abroad, but regarding job loss figures during Covid, that data is not maintained by the Government of India. So, I cannot honestly answer that question.

Sir, I hope I have provided full clarification to all the questions raised.

---

## GOVERNMENT BILL

### The Wild Life (Protection) Amendment Bill, 2022

MR. CHAIRMAN: The Wild Life (Protection) Amendment Bill, 2022; Shri Bhupender Yadav to move a motion for consideration of the Wild Life (Protection) Amendment Bill, 2022. The time allotted is four hours.

THE MINISTER OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE; AND THE MINISTER OF LABOUR AND EMPLOYMENT (SHRI BUPENDER YADAV): Sir, I move:

"That the Bill further to amend the Wild Life (Protection) Act, 1972, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister, if you like to say something about the Bill, you may speak.

**श्री भूपेन्द्र यादव :** माननीय सभापति महोदय, भारतीय वन्य जीव (संरक्षण) विधेयक, जो 1972 में पारित किया गया था, मैं उसमें संशोधन के लिए विधेयक सदन के समक्ष प्रस्तावित करता हूं। दुनिया में विभिन्न देशों के बीच में एक संधि है, Convention of International Trade in Endangered Species. जिस प्रकार से वन्य जीव और वन्य सम्पदा दुनिया में विलुप्त होती जा रही है और कुछ संपदाएं इस कगार पर आ गई हैं कि उनका संरक्षण करना आवश्यक है, इसको लेकर दुनिया के सभी देशों के अंतर्गत एक संधि 1976 में हुई थी। हम सब जानते हैं कि वन्य जीवों का जो अवैध व्यापार होता है, उसको रोकने के लिए और उसके साथ-साथ उसमें रेग्युलेशन लाने के लिए हर देश के अंतर्गत नियमों को बनाने का और कानून को पारित करने का प्रावधान किया गया था। भारत सरकार भी इस अंतरराष्ट्रीय संधि की सदस्य है। हालांकि हमारे देश में इस प्रकार का जो अवैध व्यापार होता है, उसको कस्टम्स एक्ट के तहत, Foreign Trade Development and Regulation Act के तहत और EXIM Policy and Wildlife Protection Act के तहत नियंत्रित किया जाता है, परंतु इस संधि के अंतर्गत दुनिया के सभी देशों के लिए यह कहा गया था कि वन्य जीवों का अलग से एक स्ट्रक्चर, एक ढाँचा बनाया जाना चाहिए। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि तत्कालीन यूपीए सरकार ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह एश्योरेंस भी दिया था, लेकिन उन्होंने उसको पूरा नहीं किया और चूँकि हमने इस अंतरराष्ट्रीय संधि को 2005 में एश्योरेंस दिया था, अतः उसे पूरा करना आवश्यक है, अतएव इस बिल को लोक सभा में रखा गया है, जिसको सर्वसम्मति से पारित किया गया है और मैं यह चाहता हूं कि यह बिल इस राज्य सभा में भी सर्वसम्मति से पारित किया जाए।

माननीय सभापति महोदय, इस बिल की प्रस्तावना को रखते समय मैं यह भी कहना चाहूंगा कि अभी हाल ही में 14-25 नवंबर, 2022 में पनामा में, दुनिया में CITES की जो CoP है, वह 19th Conference of the Parties हुई थी। हमारे देश में विशेष रूप से, फॉरेस्ट में जो हमारे ऑफिसर्स और साइंटिस्ट्स हैं, उनके प्रयासों के कारण भारत ने जो प्रस्ताव किया और हमारे जो two species of turtles हैं, namely, red-crowned roofed turtle and soft-shelled turtle, उनको Apendix-II to Apendix-I में किया गया।

माननीय सभापति महोदय, आप जानते हैं कि राजस्थान और हरियाणा के क्षेत्रों में शीशम का वृक्ष विशेष रूप से बहुतायत में पाया जाता है। जो स्थानीय कारीगर हैं, वे उससे विभिन्न चीज़ों का निर्माण करते हैं और राजस्थान के हमारे बहुत अच्छे कारीगर इसका निर्यात करते हैं। हम यह चाहते थे कि शीशम पूरे तरीके से निर्यात से मुक्त हो - Dalbergia Sisso इसका एक बोटेनिक नेम है। हमने इस प्रस्ताव को भी रखा था, हालांकि प्रस्ताव पास नहीं हुआ, फिर भी हमें CITES से एक क्लैरिफिकेशन मिला कि 10 के.जी. तक के आइटम के निर्यात को हम लोग प्रोवाइड कर सकेंगे और एक तरीके से इस CITES से हमारे जो छोटे कारीगर हैं, उन्हें एक बड़ी अच्छी राहत भी मिली है। इस बार यह भी अच्छा रहा कि स्टैंडिंग कमेटी में एशिया रीजन की तरफ से भारत ने अपना स्थान पाया, लेकिन एक और विषय टाइगर कंज़र्वेशन के संबंध में है। आजकल दुनिया के कुछ देशों में टाइगर की फार्मिंग भी हो रही है और इसके कारण उसका illegal trade बढ़ रहा है, भारत के उस प्रस्ताव को भी वहाँ पर रखा गया।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके सामने यह भी कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार वन्य क्षेत्र के संरक्षण के लिए, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमने पिछले दिनों, अभी हमारे देश में विशेष रूप से टाइगर कंज़र्वेशन के लिए काम किया है और मुझे यह बताते हुए खुशी है कि दुनिया के 70 per cent tigers हमारे देश के अंतर्गत हैं। अभी हमारे एस्टिमेशन का कार्य चल ही रहा है। उसके साथ ही साथ 1950 में हमारे यहाँ से जो चीते लुप्त हुए थे, उनको भारत वापस लाकर माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में, हमारे देश में जो ईकोलॉजिकल रॉग हुआ था, उस ईकोलॉजिकल हारमनी को स्थापित करने का कार्य किया है। हमारे देश के जो टाइगर रिज़र्व्स हैं, उन्हें TX2 का इंटरनेशनल अवार्ड भी मिला है। हमारे 16 टाइगर रिज़र्व्स को इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन भी मिला है और मैं कई बार यह कहता हूं कि जब टाइगर कंज़र्वेशन की बात कहते हैं, तो कई बार यह विषय उठाया जाता है कि हम इतना ज़ोर क्यों दे रहे हैं, तो मैं इस पर आपको बताना चाहूंगा कि हमारी नेशनल टाइगर कंज़र्वेशन अथॉरिटी ने अभी एक मैप रिलीज किया है कि मुख्य रूप से हिंदुस्तान के दक्षिण क्षेत्र में निकलने वाली जो नदियाँ हैं, टाइगर रिज़र्व के जो कंज़र्वेशन एरियाज़ हैं, वहीं से उनके उद्गम का स्रोत है और इसलिए जंगलों को बचाना, वहाँ की ईकोलॉजी को बचाना, वहाँ के ईकोलॉजिकल सिस्टम को बचाना बहुत आवश्यक है।

सभापति जी, इसके साथ ही साथ मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि हमारे बंगाल के क्षेत्र में विशेष रूप से जो सुंदरबन टाइगर रिज़र्व्स एरिया है, हमने उसकी भारत और बंगलादेश के सहयोग के साथ बाइलेट्रल पार्टनरशिप की है और हम उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अब चीता इंट्रोडक्शन के साथ ही साथ हमारे देश में प्रोजेक्ट लॉयन के ऊपर भी काम किया जा रहा है। इसको माननीय प्रधान मंत्री जी के द्वारा 15 अगस्त, 2020 को लाल किले से घोषित भी किया गया था। पूरी दुनिया का जो 100 परसेंट एशियाटिक लॉयन है, वह भारत के अन्तर्गत है। हमारे देश में रिवर क्षेत्र में एक बहुत बड़ा जो हमारा संरक्षण का क्षेत्र है, वहां पर प्रोजेक्ट डॉल्फिन है। प्रोजेक्ट डॉल्फिन के कंज़र्वेशन को लेकर भी हम काम कर रहे हैं।

हमारे कई माननीय सदस्यों के पत्र भी मुझे ह्यूमन-एनिमल कंफ्लिक्ट के ऊपर लगातार आते हैं। हमारी सरकार के द्वारा फरवरी, 2021 में इसको लेकर एक सर्कुलर जारी किया गया था। उसके साथ ही साथ जो बाकी के विषय हैं, जब हमारे सदस्य इस विषय को रखेंगे, तब मैं आपके सामने विस्तार के साथ उन विषयों को रखूंगा।

यह जो संशोधन है, इस संशोधन को लाने के हमारे दो उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य जो हमारी इंटरनेशनल ट्रीटी है, उस इंटरनेशनल ट्रीटी का भारत जो सदस्य बना और अभी हाल ही में जो हमारे भारत का प्रतिनिधिमंडल जाकर आया है, उसकी आवश्यकता और भारत के नेतृत्व की क्षमता को देखते हुए उसको हमारे लीगल प्रोविज़न में लाना आवश्यक था। उसके साथ ही साथ हमारे वन्य क्षेत्र में लम्बे समय से रहने वाले जो ट्रैडिशनल कम्युनिटीज़ के लोग हैं, जो ट्राइबल लोग हैं, जब हम उनका विस्थापन करते हैं तो उनके मवेशियों के लिए और बाकी लोगों के लिए जो परम्परागत अधिकार हैं, उनमें कुछ हद तक कुछ विषयों पर संरक्षण, जब तक उनका पूरे

तरीके से पुनर्स्थापन न हो, देना आवश्यक था, इस प्रकार की एक संवेदनशील सरकार के द्वारा कि हम वन के विकास के साथ-साथ वहां पर रहने वाले जो स्थानीय समुदाय हैं, उनके संरक्षण और उनके विषयों को भी लेकर चलें। हमारे देश में प्रकृति के साथ रहने की एक परम्परागत सोच है, प्रकृति के साथ जीवन जीने की हमारे यहां एक जीवन-पद्धति है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने दुनिया के सामने जो क्लाइमेट चेंज का संकट आया है, उसके लिए पूरी दुनिया को 'मिशन लाइफ' का विज़न दिया है, वह विज़न भी प्रकृति के साथ है और हम जिसको माइंडफुल कंजम्पशन कह सकते हैं, माइंडलेस यूटिलाइजेशन की तरह वह है और इसलिए यह जो वाइल्डलाइफ एक्ट है, इसमें यह जो संशोधन है, इसकी आज के समय की अंतरराष्ट्रीय संधि के अन्तर्गत भी आवश्यकता है और कुछ हम अपने स्थानीय प्रशासन को सुदृढ़ करने के लिए, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को सुदृढ़ करने के लिए और स्थानीय समुदाय को रियायत देने के लिए इन संशोधनों को लेकर आये हैं। मैं सदन से आग्रह करूंगा कि सर्वसम्मति से इसे पारित करें।

इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*The question was proposed.*

MR. CHAIRMAN: Now, Shri Vivek K. Tankha.

SHRI VIVEK K. TANKHA (Madhya Pradesh): Sir, first of all, this is my first debate before the hon. Chairman, and I hope that the hon. Chairman is still there for the debate!

MR. CHAIRMAN: I thought the safest way to take a respite is when a distinguished Member of the same fraternity, a senior advocate, who, normally on the first day, will have no option but to be indulgent.

(MR. DEPUTY CHAIRMAN *in the Chair*)

SHRI VIVEK K. TANKHA: Sir, before I start, let me give a little brief background of this law. I am sure most of the hon. Members would know this. This wildlife protection concept was, for the first time, enacted by way of a law in 1912 when we brought Wild Birds and Animals Protection Act, 1912, and that continued for many, many years. This power to enact on wildlife was basically reserved for the States. यह स्टेट की, स्टेट लेजिस्लेचर की पावर थी। But, with the 42nd Constitution Amendment in 1977, this power was transferred to the Concurrent List from the State List. Earlier, it used to be Entry-20 of the State List. Now, it is Entry-17, 17(A) and 17(B) of the Concurrent List. So, today, on this subject, both, the State as well as the Centre, can legislate,

**4.00 P.M.**

but if there is an overlapping field, then the State legislation can only come into effect with the assent of the hon. President. That's the law. In 1972, before the amendment of this Act, the Wildlife Protection Act was enacted. At that time, when the power was with the State, eleven States passed resolution saying that they wanted a Central enactment, and, being an all-India subject, it had to be addressed nationally. That is why, in 1972, the Parliament, under the Constitutional power, made a law in terms of a State Subject, which was called the Wildlife Protection Act, 1972. इस प्रोटेक्शन एक्ट में बीच में बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए। Now, this is one stage at which broad based amendments have come. These amendments deal with Rio Treaty also. These amendments deal with many Conventions but, I think, the basic facet of entire amendment, as the hon. Minister also said, is to fill up the loopholes and gaps in the various sections across various chapters. लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं, जो मेरी ओपिनियन में आपसे छूट गईं, क्योंकि आप कितना भी कन्सेन्ट्रेट करके लॉ बना लीजिए, if it does not go to a Standing Committee or a Select Committee, there will always be areas which get left out. So, basically, I am going to speak on areas which are left out.

Let me start with Section 43. Section 43 is the section जिसमें इस वक्त सबसे ज्यादा विवाद है। This is the Section in which you permit the transfer and transportation of elephants. ये हमारे गणेश जी हैं और अगर आपको गणेश जी का ट्रांसफर और ट्रांसपोर्टेशन करना है, तो उसके लिए आपको बहुत केयरफुल होना पड़ेगा। The problem arose because the proviso -- जो प्रोवाइज़ो लाए हैं, जो प्रोवाइज़ो सेक्शन 43 पर प्रपोज्ड है -- says, "Elephant transfer and transportation can be done for religious -- वह तो ठीक है -- or for any other purpose. For 'Any other purpose', सेक्शन 63 में ये कहते हैं कि हम रूल्स के थ्रू डील करेंगे। That has left a big gap. 'Any other purpose' करके आपने इसको इतना वेग कर दिया है, and, depending on who is in power, who thinks how, these things may even touch human sensibility. आपको मालूम है कि पहले हाथी एक डोमेस्टिक एनिमल जैसे ट्रीट किया जाता रहा है under the Act. Only in the last thirty or forty years, the elephant became not an endangered but a protected species. आज प्रॉब्लम यह है कि if we allow elephant to be used for 'any other purpose', तो उसमें इतने सारे बड़े इश्यूज़ हो जाएँगे, क्योंकि आपको अंदाज़ नहीं है कि इंडिया में 2,675 कैप्टिव एलिफैंट्स हैं और उनमें 1,251 के पास ही ओनरशिप सर्टिफिकेट है under Section 42. These are PETA figures, which I have quoted. आपके पास एलिफैंट का एक ह्यूज कॉग्रिगेशन है, जिसका ओनरशिप सर्टिफिकेट भी अभी तक डिसाइडेड नहीं है। अगर आपने इस प्रोवाइज़ो को इतना वीक और इतना इनडिटरमिनेट छोड़ा, तो this is going to cause problem in the times ahead. आज तो आप लॉ पास कर देंगे, लेकिन आगे चल कर इस देश में यह एक इश्यू बनेगा। इसी तरह मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो प्रोवाइज़ो है, actually, it is a proviso to Section 43(1). अगर आप सेक्शन देखेंगे, तो this proviso fits into Section 43(1) and not Section 43(2). वह कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, but possibly, it should have been a proviso to Section 43(1) and

not Section 43(2). The next point which I am going to make is about Clause 49M. यह बड़ा इंटरेस्टिंग है। In this, you have to give a self-declaration, यानी आपको खुद ही डिक्लेयर करना पड़ता है। शेड्यूल-IV के एनिमल्स अगर आपके पोज़ेशन में हैं, then you have to make a declaration to the competent authority. मेरे घर में कोई डियर है, टाइगर कब है, any other endangered species हैं अथवा जितने स्पीशीज़ वहां स्पेसिफाइड हैं, उसकी बहुत बड़ी लिस्ट है, स्पेशली बड्र्ज़ की बहुत बड़ी लिस्ट है। तो आपको एक सेल्फ डेक्लेरेशन देना पड़ता है। How that declaration is to be made, उसमें 49एम के बाद बहुत सारे सब-सेक्शंस हैं।

इसमें एक दूसरी प्रॉब्लम भी है कि आपने व्यक्ति के लिए तो बोल दिया कि he should give a declaration, but the problem is that कि आपने थर्ड पार्टी को कम्प्लेंट करने का हक नहीं दिया, इन ए सेंस। सपोज़ हमने डेक्लेरेशन नहीं दिया, तो ऐक्ट में कॉन्ट्रावेंशन होगा और कॉन्ट्रावेंशन में, under section 51ए, पनिशमेंट होती है। वह किक-स्टार्ट तभी होगा, जब कोई फॉरेस्ट अथॉरिटी उसको डिस्कवर करेगी।

सर, जिस बिल्डिंग में मेरा ऑफिस है, सिल्वर आर्च, आज से दस साल पहले वहां एक ऑस्ट्रिच मिला था। सालों से वह ऑस्ट्रिच वहां रहता था, सडनली एक दिन डिस्कवर किया गया कि वह ऑस्ट्रिच वहां किसी ने पाल कर रखा हुआ है। That is a specie that has to be declared. अगर एक यह प्रोविज़न भी आप इसमें करेंगे, तो it might help in the declaration process. थर्ड पार्टी, जिसको नॉलेज है, वह इसको कर सके। नेबरहुड में ज़रूर नॉलेज होती है कि आपके नेबर के पास कौन से एनिमल्स हैं, तो नेबर ज़रूर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को जाकर बता सकता है कि इनके पास यह एनिमल है। He must be asked to declare. कुछ प्रोविज़ंस को अगर आपको स्ट्रिक्ट्ली एन्फोर्स करना है, तो आपको पॉसिबली पब्लिक पार्टिसिपेशन को भी इसमें एनकरेज करना होगा।

इसी तरह एक इश्यू है, issue of every national park and sanctuary. Now, this is something जिसको आपने कम्प्लीट्ली मिस कर दिया है। This is what you call one kilometer eco-sensitive zone rule. यह जो one kilometer eco-sensitive zone rule है, यह सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से आया है। अब क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी 30 नवम्बर को एक ऑर्डर दिया है, in the context of Tungareshwar Wildlife Sanctuary, जो मुम्बई के पास है, that this one kilometer eco-sensitive rule will not apply as it is. इसका मतलब यह है कि it is flexible. इससे पहले, on 28th September also, जब सुप्रीम कोर्ट के पास यह मैटर गया था, in the context of Sanjay Gandhi National Park and Thane Creek Flemingo Sanctuary, तो सुप्रीम कोर्ट had relaxed this rule. Now, as Parliament, you have this opportunity. You have an opportunity to amend, लेकिन इस इश्यू को आपने डील नहीं किया। अब प्रॉब्लम यह है कि this will now go by judicial verdict case by case. नेशनल पार्क्स के पास जहां ऐसे इश्यूज़ आएंगे, वे सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे। कोर्ट में गोदावर्मन की एक परमानेंट बैंच चलती है,

हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर भी इससे परिचित हैं। वहां आप एक एप्लिकेशन लगाएंगे और फिर वे रिलैक्स करेंगे कि एक किलोमीटर के अंदर ईको-सेंसिटिव ज़ोन में रिलैक्स किया जा सकता है या नहीं अथवा किन चीज़ों को रिलैक्स किया जा सकता है, किनको नहीं किया जा सकता। क्या वहां होटल आ सकते हैं? अगर होटल आएंगे, तो किस प्रकार के होटल आएंगे? क्या वहां पर वेलनेस सेंटर्स आएंगे या नहीं? इस तरह ईको-सेंसिटिव ज़ोन में आप जो भी करेंगे, उसको ईको-सेंसिटिव वे में ही करना पड़ेगा। उसके बारे में भी सोच होनी चाहिए थी। एक बहुत बड़ा एरिया, जो आपके पास अपॉर्च्युनिटी थी, opportunity to address, मेरे ओपिनियन में इस वक्त वह छूट गया है, because this area is now being dealt with by the Supreme Court rather than the Parliament or the Executive. Why I am saying that this is an opportunity lost is because eco-sensitive area is a part of our heritage. हमारी जो नेशनल हेरिटेज है, उसका वह पार्ट है। हम हेरिटेज को लेकर तीन प्रिंसिपल्स पर वर्क करते हैं। Number one is precautionary principle. प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल यह होता है कि हम चीज़ों को खराब न होने दें, बिगड़ने न दें। दूसरा होता है- पॉल्यूटर पेज़। जो व्यक्ति ईकोलॉजी को खराब करता है, उसको आप दंडित करते हैं। You take fine from him. You take penalties from him and make it so severe that he will not do it again. And third is 'intergenerational equity'. मतलब, हम यह सब जो कर रहे हैं, and rightly so, as the hon. Minister said, we are doing this all for the future. हम यह अपनी आगे वाली जेनरेशंस के लिए कर रहे हैं। He rightly said it about tiger farming. Tiger farming is a concept in the South-East Asia. Thousands of people go there and enjoy. वहाँ पर tigers are tamer than dogs. Indian dogs are more ferocious than a Thailand tiger. As I said, wildlife का कॉन्सेप्ट भी चेंज हो रहा है, ईकोलॉजी का कॉन्सेप्ट भी चेंज हो रहा है। Wildlife is also now a revenue-earning machine. In many African countries, wildlife is the mainstay of their economy. उनकी पूरी अर्निंग is out of their wildlife. तो हमें उसको भी ध्यान में रखना है, हमें अपनी ईकोलॉजी को भी बचाना है, हमें बहुत सारी चीजों पर ध्यान रख कर ही इस चीज़ को आगे बढ़ाना है। तो जितना एग्रेसिवली हम इन चीज़ों को लेंगे, but this aggression has to be a very consultative aggression. It can't be an aggression जिसमें आप किसी चीज़ को रोक दें। I still remember, in Godavarman case, I had been appearing for years as counsel for Madhya Pradesh. हम लोगों की सबसे ज्यादा एप्लिकेशंस वहाँ पेंडिंग होती थीं। मेरे जबलपुर शहर के ऑल अराउंड ईको सेंसिटिव पार्क्स हैं। There is Kanha on one side. Another side, you have Bandhavgarh. You have Pench on other side. हमारे यहाँ आप जहाँ जाएँ, सब तरफ सेंक्चुअरीज़ हैं, टाइगर रिज़र्व्स हैं। ये भी एक बहुत बड़ी अर्निंग का जरिया बन सकते हैं। As you rightly said, law-cum-amendments are necessary. But when we make these laws, we also should not lose opportunities which the law gives us to make an intergenerational future. क्योंकि जो लॉ हम आज बना रहे हैं, this is not only for us. It is also for the future. Our children are going to enjoy the environment which this law creates. तो मेरा यही कहना है कि while nobody will be objecting to this Bill *per se*, still there are so many gaps in this Bill whether it be Section 43 or Clause 49M and this

Supreme Court Judgment which has not been taken into consideration. I would like the Minister to take these facts into consideration before finalising the Bill, so that at least when you finalise a thing you have a comprehensive picture before you. Thank you.

DR. KANIMOZHI NVN SOMU (Tamil Nadu): Sir, wildlife wealth is the world's natural wealth. Protection and conservation of wildlife is the need of the hour and it is one of the most important duties of the Government and the people to protect our wildlife wealth.

Sir, the Wild Life (Protection) Amendment Bill amends the Wild Life (Protection) Act, 1972 and seeks to increase the species protected under the law, and implement the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora.

Sir, the human population has grown exponentially over the past 200 years to more than seven billion people today, and it continues to grow rapidly. This means natural resources are being consumed faster than ever by the billions of people on the planet. This growth and development also endangers the habitats and existence of various types of wildlife around the world.

Humans are behind the current rate of species extinction, which is at least 100-1,000 times higher than the nature intended. According to WWF's Living Planet Report 2018, the world has witnessed an astonishing 60 per cent decline in the size of population of mammals, birds, fish, reptiles, and amphibians in just over 40 years. In a healthy biome and biodiversity world, humans are the culprits. Their greed for development and advancement has been detrimental to the world wildlife. Therefore, any law which is aimed to protect and conserve wildlife population is absolutely necessary.

Sir, there is conflict of interest between Forest Rights Act and Wild Life Protection Act. Protection of wildlife is important. At the same time, protection of forest rights of Scheduled Tribes and other traditional forest dwellers living in nearby protected wildlife zones is also important. A near-total ban on grazing, coupled with a system that will undo the FRA, has made the life of locals difficult and is stripping them of their rights. Sir, cattle-grazing has been recognized under the Tamil Nadu Forest Act, 1882. The court then revised its order on March 17th. Now, cattle-grazing

became legally permissible in forests outside tiger reserves, sanctuaries and national parks. In effect, the verdict removed 8,101.79 square kilometres or 35.42 per cent of forests and 6.23 per cent of the State's total area from Tamil Nadu's grazing area -- even from those who were legitimate right holders. The court thus rewrote the provisions of two major laws that the Parliament had enacted in 2006. The 2006 amendment to the Wildlife (Protection) Act, 1972 and the Wildlife (Protection) Act of 1972 rendered tiger reserves as a statutory category and prescribed provisions for their notifications. The Government has since notified 52 tiger reserves. Both of which were designed to protect, preserve, conserve and manage forests, wildlife and biodiversity.

According to the Wildlife (Protection) Act, Tamil Nadu had to prepare a tiger conservation plan to protect the agricultural, livelihood, developmental and other interests of the people living in tiger reserves. The core area, the critical tiger habitat, is to be established without affecting the rights of the Scheduled Tribes or such other forest dwellers while the buffer area should promote coexistence between wildlife and human activity with due recognition of livelihood, developmental, social and cultural rights of the local people. Separately, the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act 2006 recognised grazing and traditional seasonal resource access of nomadic communities, that is, it accorded community rights to the village to be regulated by its Gram Sabha, and not an individual grazing permit to be granted on payment of the prescribed fees by the Forest Department. This has to be followed without any hindrances to the tribal population and the traditional forest dwellers.

Sir, in a vast country like India, different regions will have different wildlife population. The wildlife species living in Western Ghats are not expected to be seen in Aravali Ranges of North. The wildlife in North East India is much different from those in Eastern Ghats. Therefore, the State Governments are better equipped to act upon the wildlife protection and conservation. I urge the Union Government to have consultation with State Governments in forming the Management Authority and to provide adequate representation from the States in the composition of the Authority.

Sir, the pristine environment of forests is deteriorating due to unregulated tourism. Untreated sewage and plastic waste have endangered the environment. Only if the people realize the importance of a clean environment and cooperate with local administration, the natural resources can be protected.

In Tamil Nadu, the Eastern Ghats and the Western Ghats are natural boon to protect fauna and flora typical to this weather and environment. We have tremendous coastal and marine habitat. Therefore, in protecting the wildlife, Tamil Nadu plays an important role. The Eastern Ghats comprise the Javadh Hills, Yelagiri, Balamalai, Bargur, Servarayan, Bodhamalai, Chitheri, Kalrayans, Kolli Hills, Pachamalai, Piranmalai, Semmalai, Sirumalai, Karanthamalai, Azhagar Malai, etc. The hills run west and south-western to merge with the Western Ghats near Doddabetta in the Nilgiris. They have a rich biota and a fragile ecosystem, which needs to be protected at any cost.

Sir, due to the sustained efforts of our DMK Governments in Tamil Nadu, several wildlife sanctuaries and wildlife parks, zoos and bird sanctuaries have been established in Tamil Nadu over the last 50 years. The projects 'Save Tigers' and 'Save Elephants' have been successfully implemented in Tamil Nadu. Tamil Nadu is one of the best served States in the country in as far as wildlife protection is concerned. I take this opportunity to urge the Union Government to provide Rs.2,000 crore to the Government of Tamil Nadu for enhancing its wildlife protection and conservation activities. With this, I conclude. Thank you, Sir.

SHRI BRIJLAL (Uttar Pradesh): Mr. Deputy Chairman, Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak on the Wildlife (Protection) Amendment Bill, 2022, which proposes to amend the Wildlife (Protection) Act, 1972 so as to incorporate the necessary changes to appropriately implement CITES -- Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora in India. That is called CITES. In addition to this, certain other amendment has also been proposed so as to make the Act more comprehensive.

Mr. Deputy Chairman, Sir, India is a signatory to the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora which requires the parties to take appropriate measures to enforce its provisions and prohibit trade in violation thereof. CITES regulate trade in about 38,700 species of wild animals and plants. Currently, 183 countries are signatory to CITES.

Non-compliance by a country to adopt appropriate legislation to implement CITES may result in a recommendation from CITES to suspend trade in CITES-listed species with such country. Such a recommendation was made in respect of India --

as the Minister has told -- in 2004 but was withdrawn in March, 2005 following an assurance by India.

India has been implementing CITES through the Customs Act, 1962, the Foreign Trade (Development Regulation) Act, 1992, the EXIM Policy and the Wildlife (Protection) Act, 1972. However, the CITES Secretariat has noted certain gaps in India's implementation of the CITES. India has been identified by the CITES Standing Committee as one of the parties requiring attention as a matter of priority regarding the national legislation. A recommendation to suspend trade with India for CITES-listed species would affect India's exports and imports of such species including agarwood, sheesham, red sander wood, medicinal plants and aromatic plants, etc.

अभी मंत्री जी ने कहा कि हमारे यहाँ एक प्लांट डलबर्गिया लैटिफोलिया है, जिसको हम रोज़वुड कहते हैं, उसका ज्यादा प्रोडक्शन कर्णाटक और हरियाणा में होता है। इसके प्रोडक्ट्स बड़े कॉस्ट्ली हैं और यह CITES की लिस्ट में है। अगर हमने लेजिस्लेशन न किया, तो हमारा वह प्रोडक्ट, जिससे हम फॉरेन एक्सचेंज कमा रहे हैं, वह सस्पेंड हो सकता है।

इसी तरह, the other species which is in the CITES list is called agarwood, जिसको oud wood भी कहते हैं। अभी मैं होम अफेयर्स कमिटी को असम लेकर गया था और वहाँ मैंने इस पर बातचीत की, क्योंकि वहाँ अगरवुड होता है। उसमें एक इन्फेक्शन होता है, मोल्ड डेवलप होता है और उसके बाद heartwood turns black. उसके बाद रेजीन होती है, जिससे ऑयल निकलता है and that is very, very costly. That is used in perfumes and incense. Its global trade is six to eight billion US dollars. अगर हमने इस प्रोडक्ट को नहीं किया, तो हम उस श्रेणी में आएँगे और इससे हमारा एक्सपोर्ट प्रभावित होगा।

महोदय, मैं असम के मुख्य मंत्री को इस हाउस के माध्यम से बधाई देना चाहता हूँ। On 26 June, he has launched the Agroforestry Development Board. उसका परपज़ यह है कि वहाँ फार्मर्स ऐसे स्पीशीज़ ग्रो करें, जिनका यूज़ इंडस्ट्री में हो। उनमें अगरवुड भी है, शीशम भी है और बैम्बूज़ भी हैं। किसानों को ऐसे प्रोडक्ट्स हारवेस्ट करने के लिए, उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। असम के किसानों को, नॉर्थ-ईस्ट के लोगों को फ्यूचर में इनसे काफी फायदा मिलेगा। यह लेजिस्लेशन इसलिए भी जरूरी है कि CITES में जो कुछ गैप्स हैं, उन गैप्स को हम पूरा कर सकें। महोदय, इसी तरह से हमारे यहां एक प्रोडक्ट है, जिससे हम काफी पैसा कमाते हैं, वह है 'रक्त चंदन'। यह आंध्र प्रदेश में होता है, पार्ट ऑफ तमिलनाडु में होता है और कर्णाटक में होता है। मुख्यतः इसका यूज़ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, मेडिसिनल पर्पज़ेज़ आदि में होता है। जब मैं उत्तर प्रदेश में सेवा में था, तब अपने होम डिस्ट्रिक्ट, सिद्धार्थ नगर, जो नेपाल बॉर्डर पर है, वहां हमने करीब दो-तीन ट्रक माल पकड़ा था, उसका वहां कोई यूज़ नहीं है। केवल उसका पर्पज़ वहां से नेपाल और नेपाल के थ्रू चाइना भेजने का था। यह रेड सैंडर, जिसको हम

रक्त चंदन कहते हैं, हम इसका भी एक्सपोर्ट करते हैं और अनलेस यह लेजिस्लेशन पास नहीं होगा, तो इसके एक्सपोर्ट पर भी हमारी प्रॉब्लम आएगी।

महोदय, in a nutshell, the Bill seeks to include provisions of CITES regulations in the Wild Life (Protection) Act 1972, in order to control illegal trade in Wild Life, their parts and products. Number two is, it also envisages to constitute standing committee of SBWL (State Board of Wild Life). It rationalises the Schedules in the Act from current 6 Schedules to 4, Schedule II for protected animal species, Schedule III for specified plants and Schedule IV for CITES-listed species.

In the Amendment, the monetary penalties for contravention of the provisions of the Act are proposed to be increased so as to ensure that they function as a deterrent in present time.

महोदय, इस एक्ट में इनवेसिव फॉना एण्ड फ्लोरा के बारे में बात की गई है। हम एक प्लांट से बड़ी अच्छी तरह से परिचित हैं, जिसको हम Water Hyacinth (जलकुम्भी) कहते हैं। यह करीब वर्ष 1774 में आया। लेडी हेस्टिंग्स इसे कोलकाता में लायी थीं, उनको इसके बैंगनी फूल बहुत खूबसूरत लगते थे, पत्ते चमकीले लगते थे। आज केवल भारत ही नहीं, बल्कि पूरे साउथ-ईस्ट एशिया के लिए जलकुम्भी एक प्रॉब्लम हो गई है। मैं कश्मीर गया था, वहां डल झील में भी ये मौजूद हैं। आज पूरा साउथ-ईस्ट एशिया इस इनवेसिव प्लांट से उत्पन्न होने वाली समस्याओं से जूझ रहा है। आज नॉर्थ इंडिया, बंगाल, बिहार आदि जहां भी हमारी वॉटर बॉडीज़ थीं, गाँव में जो तालाब थे, वे जलकुम्भी से पट गए हैं। हमारे किसान जो उनमें खेती करते थे, तमाम प्रोडक्ट्स पैदा करते थे, मछली पालन करते थे और सिंघाड़ा पैदा करते थे, वह खत्म हो गया है। हमारे बंगाल के कुछ मित्र हैं, जिनको मांगुर और सिंघी मछली बहुत पसंद थी, आज वे गायब हो गई हैं, वे बहुत कम रह गई हैं।

महोदय, इसमें यह भी प्रोविज़न है कि हम कोई इनवेसिव प्लांट को न ला पाएं। उसको अगर कोई लाता है, तो उसे सज़ा होगी। महोदय, इस प्लांट को बंगाल में 'टेरर ऑफ बंगाल' कहते हैं। इसी तरह से एक इनवेसिव प्लांट 'Lantana Camara' के बारे में भी हैं, जो दक्षिण अमेरिका से आया था। आज हमारे फॉरेस्ट में, it has created havoc. जब गर्मी आती है, तब यह सूख जाता है, जिससे फायर लगने की समस्या बढ़ जाती है। कर्णाटक में फायर लगने से हज़ारों एकड़ फॉरेस्ट जल गया, जिसमें बांदीपुर सेन्क्चुरी का भी 40 हैक्टेयर लैंड था। मेरा कहने का मतलब यह है कि ये जो स्पीशीज़ हैं, जो फॉरेन स्पीशीज़ आयी हैं, जो हमारे देश की नहीं थीं, वे हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। उनका भी प्रोविज़न है और उनके बारे में सीरियस पनिश्मेंट के प्रोविज़न दिए गए हैं, जिसके लिए माननीय मंत्री जी को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा।

महोदय, इसी तरह से 'पारथेनियम' है, जिसको कॉंग्रेस ग्रास या गाजर घास कहते हैं, यह पीएल-480 के तहत आया था। वर्ष 1954 में जब हमारे पास खाने को कुछ नहीं था, हम लोगों के पास अनाज नहीं था, तब पब्लिक लॉ 480 के तहत अमेरिका से इम्पोर्ट होता था। उसी की तरह से प्लांट आया और आज यह हालत है कि यह किसानों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मैंने लखनऊ में अपने घर के सामने गार्डन लगाया है और मैं रोज़ सफाई करता हूं, परंतु वह फिर उग जाता है। यह भी इन्वेसिव प्लांट है। इसके लिए प्रोविजन है, चाहे वह फॉना हो या फ्लोरा।

इस विषय के बाद मैं अपनी बात समाप्त करूंगा and it is about invasive fauna. आप बाज़ारों में जब जाएंगे, तो देखेंगे कि थाई मांगूर बहुत मिलता है। थाई मांगूर के बारे में यह कहा जाता है कि it eats everything in the river except crocodile. पहले लोगों ने इसको तालाबों में पाला। वह वाइल्ड में गया और वाइल्ड में छह महीने में इसका साइज़ तीन-चार किलो हो जाता है। जबकि हमारा देसी मांगूर ढाई-तीन सौ ग्राम का ही होता है और आज इसकी वजह से जो हमारे तमाम जलीय जीव थे, हमारी ट्रैडिशनल मछलियां थीं, Indian major carps like Rohu, Catla, Mrigala, Naini, ये सब गायब होती जा रही हैं, जो इसी का परिणाम है। अब मैं दूसरी मछली पर आऊंगा, जिसका नाम Tilapia है। यह एक African fish थी और यह अफ्रीका से नहीं आई है। यह हमारे यहां थाईलैंड और श्रीलंका से आई है। यह करीब 1960 के आस-पास आई थी। आज Tilapia की यह हालत है कि हमारी देसी मछलियां, जो नदियों में हैं, ब्रीड करने के बाद, यह उन्हें पूरी तरह से रिप्लेस कर रही है। मैं मंत्री जी को इस पर धन्यवाद देना चाहूंगा कि इसके लिए भी इसमें प्रोविज़न्स किए गए हैं।

उपसभापति महोदय, मैं अंत में कुछ चीज़ों पर बात करके अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा and it is about vermin species. Vermin species से आप सभी परिचित हैं जैसे नील गाय। It is not from a bovine family, it is an antelope. इसी तरह wild boar है । इसमें वर्मिन डिक्लेयर करने का प्रोविज़न है, लेकिन अभी जो परमिशन लेने के लिए तमाम फॉरमेलिटीज़ हैं, उनकी वजह से उसका पालन नहीं हो पा रहा है, तो मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इस एक्ट में जो vermin species हैं, उनके बारे में स्टेट गवर्नमेंट को क्लियर कट डायरेक्शन्स दी जानी चाहिए, जिससे किसानों को जो खेती का नुकसान हो रहा है, उस पर भी कंट्रोल किया जा सके। Sir, I thank you, आपने मुझे टाइम दिया।

**श्री उपसभापति :** श्रीमती सुलता देव। This is her maiden speech.

**श्रीमती सुलता देव** (ओडिशा) **:** उपसभापति महोदय, मैं आपकी तहेदिल से शुक्रगुज़ार हूं कि आपने मुझे इस बिल पर बोलने के लिए समय दिया। मैं तहेदिल से अपने चीफ मिनिस्टर, श्री नवीन पटनायक जी की भी शुक्रगुज़ार हूं, जिन्होंने मुझ पर आस्था रखकर मुझे इस सदन में भेजा, इस ऑगस्ट हाउस में भेजा, जहां मैं कुछ बोल सकती हूं। सर, हम लोग 'वसुधैव कुटुम्बकम्' में विश्वास रखते हैं। यह एक ऐसी टर्म है, जिसमें आदमी ही नहीं, बल्कि मेरे ख्याल से इसमें पशु, पेड़-पौधे, नदी-नाले सभी हैं। इस वजह से हम सबको वसुधैव कुटुम्बकम् की केयर करनी चाहिए। हमें सबको बांधकर रखना चाहिए, सबको जोड़कर रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि Wildlife

(Protection) Amendment Bill, 2022, जिस पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, इस पर इससे पहले डिस्कशन नहीं हुआ या इससे पहले नियम नहीं बना। नियम भी बने हैं और कानून भी है। चाहे जितने भी कड़े से कड़े नियम बनाए जाएं, मगर मुश्किल तब होती है, जब हम लोग नियमों का पालन नहीं करते हैं, implementation नहीं करते। हम लोग नियम बनाते हैं, लोक सभा में भी डिस्कशन करते हैं, इस अपर हाउस, राज्य सभा में भी करते हैं। विधेयक आता है, फिर पास होता है, फिर नियम बनता है। मगर जो नीचे पालन करने वाले लोग हैं, वे उसका पालन नहीं करते हैं। मैं यह नहीं बोल रही हूं कि पालन करने के लिए, उसकी देख-रेख करने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए पुलिस है। यह हम सबका दायित्व और कर्तव्य है कि हम सबको साथ लेकर चलें। भगवान ने जब ह्यूमन बनाया, जब आदमी बनाया, वह इतना सोच-समझकर बनाया कि यह सबसे बुद्धिमान जीव है और यह सबको साथ में लेकर चलेगा। अगर मैं आपको उदाहरण दूं और बहुत पहले से भी देखा जाए, तो यह नियम है, क्योंकि हमारे सारे भगवान अपने वाहन की तरफ से किसी न किसी पक्षी या पशु से जुड़े होते हैं। हमारे जो पूर्वज थे, उनको कहीं न कहीं लगता था कि सारे पशु- पक्षी कहीं विलुप्त न हो जाएं, इस वजह से वे लोग भगवान के साथ उनको जोड़कर रखते थे, क्योंकि जब हम लोग उनकी पूजा करेंगे, तो लोग उनको नहीं मारेंगे। ऐसा भी नहीं है कि केवल पशु-पक्षी ही हैं, बल्कि कितने पेड़-पौधे भी हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, जैसे नीम, बेल, तुलसी आदि बहुत सारे पेड़-पौधे हैं। इस तरह से हम लोगों को सिखाया जाता है कि हम लोग कैसे अपने जंगल, पेड़-पौधों, पशु-पक्षियों, रैप्टाइल्स, मैमल्स आदि को केयर से रखें। हम लोग ओडिशा से बिलॉन्ग करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि ओडिशा में 19 सैंक्चुरीज़ हैं, 2 नेशनल पार्क्स हैं, 2 टाइगर रिज़र्व्स हैं, 3 एलिफेन्ट रिज़र्व्स हैं, एक बायोस्फियर भी है। ओडिशा एक ऐसी स्टेट है, जहां पर आपको टाइगर भी मिलेगा, एलिफेन्ट भी मिलेगा, ओलिव रिडले भी मिलेगा और आपको चिल्का लेक में Irrawaddy Dolphin भी मिलेगी। चिल्का लेक एशिया की सबसे सबसे बड़ी सॉल्ट लेक है। अगर अभी भी ओडिशा में जाएंगे, तो वहां लाखों के हिसाब से माइग्रेटेड बड्र्स आते हैं। हम लोग उनका बहुत ख्याल रखते हैं। वे वहां चार महीने के लिए आते हैं। हमारी सरकार ने, नवीन पटनायक जी ने, वहां पर गाड्र्स रखे हैं और लोकल लोगों को भी रखा हुआ है ताकि उनको कोई मारे नहीं, कोई खाए नहीं। अभी एक सदस्य बता रहे थे कि मेडिसिन के लिए भी कुछ लोग पक्षियों को मार देते हैं और कुछ पौधों को भी खत्म कर देते हैं। उनकी देख-रेख के लिए हमारे पास बहुत सारे हैंड्स भी हैं। हमारे पास Irrawaddy Dolphin के अलावा क्रोकोडाइल भी है। स्वीट वाटर क्रोकोडाइल है, जिसे मगर और घड़ियाल बोलते हैं और सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, जिसको हम Baula बोलते हैं। वह हमारे यहां 'Gori' Mascot भी था। अगर देखा जाए, तो पूरे विश्व में melanistic tiger हमारे यहां सिमिलीपाल में मिलते हैं। इस साल पांच लाख ओलिव रिडले की नेस्टिंग हुई है, उनकी प्रजनन प्रक्रिया रुशिकुल्या में भी हुई और गहीरमथा में भी पांच लाख ने अपने अंडे दिये। उसके लिए भी हम लोगों ने वहां लोकल कम्युनिटीज़ बनाई हैं कि उनको किस तरह से प्रोटेक्शन में रखें और वे ठीक से समुद्र में जाएं। उस समय में गवर्नमेंट की तरफ से फिशिंग करने के लिए भी मना किया गया है। एशिया की सबसे बड़ी लेक चिल्का लेक है। वहां पर अगर देखा जाए, तो वहां पर आपको सभी प्रजातियां मिलेंगी। जलकुंभी जो डल लेक में दिखाई जाती है, वह जलकुंभी हमारी चिल्का लेक को भी प्रदूषित कर रही है। कुछ न कुछ करके इसके लिए वहां पर व्यवस्था बनानी चाहिए कि उस जलकुंभी को समाप्त किया जा सके। वहां पर जो

मछली है या जो कुछ है रेप्टाइल्स हैं, वे आराम से रह सकें। मैं एक जरूरी बात कहूंगी कि 2002 से 2022 में हमारा जो फॉरेस्ट कवर एरिया था, अगर उसको देखा जाए, तो हम लोगों का 10,000 स्क्वेयर किलोमीटर फॉरेस्ट कवर एरिया बढ़ा है, उस समय यह 48,000 स्क्वेयर किलोमीटर था और अभी 58,000 स्क्वेयर किलोमीटर बना है। यह मैं नहीं कह रही हूं, यह ओडिशा सरकार नहीं कह रही है, यह फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। इस हिसाब से हमारा फॉरेस्ट भी बढ़ रहा है। आप इसी से सोचिए कि हमारी गवर्नमेंट कितना काम कर रही है, कितना प्लांटेशन हो रहा है, जिसकी वजह से फॉरेस्ट लैंड भी बढ़ रहा है। देखा जाए, तो यह अच्छा काम हो रहा है।

उपसभापति जी, हम अभी ह्यूमन-एलिफेंट कांफ्लिक्ट पर आएंगे। जंगल भी है, हमारा एलिफेंट रिज़र्वायर भी है, सभी कुछ है, अगर देखा जाए तो ह्यूमन-एलिफेंट कांफ्लिक्ट होता है। यह भी होता है कि इस कांफ्लिक्ट में कभी-कभी एलिफेंट की डेथ होती है और कभी-कभी ह्यूमन की भी डेथ होती है। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा ने एक ऐप बनाया है, जिसको अनुकम्पा मोबाइल ऐप बोलते हैं। इस अनुकम्पा मोबाइल ऐप से विक्टिम को बहुत जल्दी एक्सग्रेशिया मनी दिया जाता है। इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहूंगी कि शायद ओडिशा ही पहली स्टेट है, जहाँ पर अनुकम्पा मोबाइल ऐप बनाया गया है। यदि देखा जाए तो जो जंगल का विषय है, वह कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। इसमें स्टेट के साथ-साथ केंद्र सरकार का भी सहभाग रहना चाहिए, क्योंकि अगर ठीक टाइम पर पैसा जाएगा, ज्यादा अमाउंट जाएगा, तो जो जंगल का प्रोजेक्ट होता है, उसमें जो हाथी रहते हैं, टाइगर्स रहते हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए जो गार्ड्स रहते हैं, अगर उनके लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा जाएगा, तो कम से कम हम उन्हें अच्छी लाइफ और अच्छी प्रोटेक्शन भी दे सकते हैं। मगर कभी-कभी यह होता है, हमने खुद देखा है कि गवर्नमेंट के - जैसे हमारे पास पूरे भारतवर्ष में 30,000 के करीब हाथी हैं, जैसे नेशनल टाइगर कंज़र्वेशन अथॉरिटी है, तो उस टाइगर कंज़र्वेशन अथॉरिटी के हिसाब से एलिफेंट कंज़र्वेशन अथॉरिटी बनानी चाहिए। यह एलिफेंट कंज़र्वेशन अथॉरिटी बनाने के लिए, एलिफेंट टास्कफोर्स ने 2010 में एक प्रपोज़ल दिया था, लेकिन पता नहीं क्यों उस प्रपोज़ल के हिसाब से अभी तक कुछ हुआ नहीं है, कुछ सोचा नहीं है। यह बहुत दुख की बात है, क्योंकि अगर हम लोग टाइगर के लिए कुछ करते हैं, तो हमें एलिफेंट के लिए भी करना चाहिए। हम देखते हैं कि टाइगर कंज़र्वेशन अथॉरिटी के माध्यम से जो पैसा खर्च होता है - सर, इस साल टाइगर कंज़र्वेशन अथॉरिटी के लिए 300 करोड़ रुपये का बजट आया है, लेकिन जो पिछले साल का बजट था, वह 350 करोड़ रुपये का बजट था। यह बजट इस साल थोड़ा कम हुआ है। जिस टाइम 350 करोड़ का बजट था, उस समय से वे लोग 1,400 टाइगर्स को बढ़ाकर 3,000 टाइगर्स कर चुके हैं, मगर यदि पैसा कम होगा, तो कभी न कभी टाइगर के ऊपर भी उसका इम्पैक्ट आएगा। अगर देखा जाए, तो हाथी भी इतने हैं, मगर इस बार हाथियों की सुरक्षा के लिए, हाथियों के लिए खर्च करने के लिए सिर्फ 35 करोड़ रुपये दिए गए हैं, जबकि लास्ट टाइम इसके लिए 70 करोड़ रुपये दिए गए थे। हम लोग इस 35 करोड़ रुपये के लिए बोल रहे हैं। हमने सितंबर में भी बात की थी, लेकिन सितंबर तक भी, जो हमारा बजट था, वह नहीं पहुंचा था। एक तो कम बजट होता है और दूसरी तरह से देखा जाए, तो यदि बजट टाइम पर नहीं पहुंचेगा, तो सभी के लिए काम करने में प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर 2018-19 में 350 करोड़

रुपये का बजट था और तभी जो टाइगर कंज़र्वेशन है, वह बढ़कर बहुत ज्यादा हुआ था। अगर इस हिसाब से देखा जाए, तो हम हाथी और टाइगर को सुरक्षित कर सकते हैं।

उपसभापति महोदय, आप सभी की नज़र में आया होगा कि ज्यादातर हाथियों की रेलवे लाइन से कटकर डेथ हो जाती है। हम लोगों को इस तरफ बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि उनके यातायात का जो रास्ता है, उस पर किस तरह से अंडरपास बनाना चाहिए। हमारा देहरादून का जो वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, उसने इसके विषय में प्रपोज़ल भी दिया था। यदि देखा जाए, तो पेंच टाइगर रिज़र्व, जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में आता है, उसमें नेशनल हाइवेज़ अथॉरिटी आफ इंडिया के द्वारा किस तरह से अंडरपास दिए गए हैं। एनएचएआई और दोनों स्टेट्स ने मिलकर दिए हैं। अगर देखा जाए तो वहाँ पर टाइगर को भी सेफ रखा जा सकता है। इसी तरह से अगर ओडिशा में भी एनएचएआई के जरिये अंडरपास बनें, तो अच्छा होगा। जहाँ-जहाँ हाथी के आने-जाने का रास्ता है, वहाँ-वहाँ एनएचएआई के हिसाब से, एनएचएआई के साथ मिलकर गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा उसको सपोर्ट करे। अगर वहाँ पर अंडरपास बनाया जाता है, तो जो हाथी हैं, कम से कम हम उन्हें सेफ कर सकते हैं। एक बात और है कि जो हाथी हैं, जो हाथी और ह्यूमन कांफ्लिक्ट ओडिशा में ज्यादा होता है, इसकी वजह से झारखंड में जो दलमा अंचल है, दलमा एरिया है, उस दलमा अंचल से पश्चिमी बंगाल होते हुए बांकुरा और मेदिनीपुर से बहुत से हाथी ओडिशा में चले आते हैं। अगर देखा जाये तो मयूरभंज जिला है, जो हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी का जिला है, अगर वहां मयूरभंज में देखा जाये तो रसगोविंदपुर और बेतनोटी रेंज में देखा गया है और बालेश्वर की जनेश्वरा मिरगिल रेंज में ज्यादा से ज्यादा हाथी वहां पर आते हैं और सारी खेती-बाड़ी नष्ट कर देते हैं तो इंसान बेचारा क्या करे! अगर देखा जाये तो जो फसल लगाता है, जब वह बोता है तो कितनी मुश्किल से और कितना परिश्रम करता है, उसका सारा परिश्रम तब खत्म हो जाता है, जब हाथी आकर उसकी जो सुनहरी फसल है, उस सारी फसल को नष्ट कर देते हैं। मेरा यह सुझाव है कि अगर बिल में इतना सारा काम है तो हाथी को पहले देखना चाहिए कि वे क्यों अपना जो स्थान है, उसे छोड़कर दूसरे स्थान पर जाते हैं। शायद उनको वहां पर ठीक से खाने के लिए नहीं मिल रहा, उनके खाने के लिए वहां पर दलमा में प्रावधान करना चाहिए। वहां पर अगर पानी कम है या खाना कम है तो किस तरह वे वहां से निकल कर वैस्ट बंगाल के जरिये फिर हमारे ओडिशा में आते हैं और फिर सारी चीज़ें खराब होती हैं, उसको देखना चाहिए और उसको ज्यादा से ज्यादा गुरुत्व देना चाहिए कि वहां पर कैसे उनको रखा जाये। पता नहीं, लेकिन मैं तो सोचती हूं कि एक सर्वाइविंग होनी चाहिए। पहले हाथी खाना खाने के लिए कितनी दूर चलते थे, लेकिन अभी हाथी कितनी दूर चलते हैं, इसे भी देखना चाहिए। इसका मतलब उनके आस-पास खाने के लिए कम होता है और ऊपर अगर हाथी चलते रहते हैं तो जिन-जिन स्टेट्स से होकर वे जाते हैं, उन स्टेट्स के बीच में एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनानी चाहिए। जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, जब हाथी चलकर आते हैं तो वे खाना खाकर भी जा सकते हैं, लेकिन हम लोग उनके साथ छेड़खानी करते रहते हैं। जो हाथी जहां मिल जाये, उसके साथ छेड़खानी करते रहते हैं। अगर कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जायेगी तो कम से कम छेड़खानी नहीं होगी, अगर हाथी आएंगे भी तो वे अपने रास्ते से जा भी सकते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, मगर हम लोगों के स्टेट में हम लोग अभी भी बोलते हैं कि बीजू पटनायक जी के नाम से और माननीय मुख्य मंत्री

श्री नवीन पटनायक जी जैसे जो लोग अच्छे काम करते हैं, उनके नाम से हम लोग उनको अवार्ड देते हैं। सारे भारतवर्ष में कम से कम ऐसे अवाड्र्स देने चाहिए। जो लोग आगे बढ़कर वाइल्ड लाइफ को, फ्लोरा और फॉना को प्रोटेक्शन देंगे, उन लोगों को अवार्ड देना चाहिए। अगर देखा जाये तो हमारा फ्लोरा और फॉना का भी प्रोटेक्शन होना चाहिए। इसके साथ-साथ सब के लिए वह बहुत महत्वपूर्ण है।

हम अभी गाजर घास के बारे में बोल रहे थे, हमारे यहां भी गाजर घास दिखाई देती है, सारी जमीन में जो खेती होती है, उस सारी जमीन की खेती को गाजर घास नष्ट कर देती है। यह हमारा शैड्यूल्ड एरिया दिया गया है। ...(**समय की घंटी**)... एक मिनट। इसमें उसके लिए बहुत सारे अच्छे विचार भी हैं, जैसे आर्म्स का रिन्युअल होने के लिए जो एरिया पहले पांच किलोमीटर था, अभी उसे 10 किलोमीटर कर दिया गया है, यह बहुत अच्छा है। मगर जो खेती होती है, जो किसानों का नुकसान होता है, उसकी भरपाई के लिए मैं तो इसमें चाहूंगी, गुज़ारिश करूंगी कि थोड़े अच्छे से अगर आप कम्पनसेशन दे दें तो उससे कम से कम किसान भी बच जाएगा और जानवर भी कहीं न कहीं बच जायेगा। जावनर भी नहीं मरेगा और हमारी बॉयोडाइवर्सिटी भी बचेगी। उसे हम सबको मिलकर बचाना है, यह हम सबका दायित्व है और यह सबकी रिस्पॉसिबिलिटी है - सरकार की भी है और हमारी भी है। हमारी ओडिशा सरकार इसे कर रही है। मैं चाहूंगी कि केन्द्र सरकार का हाथ अगर थोड़ा आगे आये तो हम लोग और ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं।

नमस्कार। बंदे उत्कल जननी जय जगन्नाथ!

SHRI AYODHYA RAMI REDDY ALLA (Andhra Pradesh): I thank you Mr. Deputy Chairman, Sir, for giving me this opportunity to speak on the Wild Life (Protection) Amendment Bill, 2022.

First, I come to the positives of this Bill. The Act prescribes imprisonment terms and fines for violating the provisions of the Act. The Bill increases these fines from up to Rs. 25,000 to up to Rs. 1,00,000 for a general violation and from Rs. 10,000 to Rs. 25,000 for specially protected animals. Such a provision is a good step towards reducing incidences of poaching, cruelty towards animals or any other related violations.

Now, I come to implementation of CITES. The Bill aims to implement the Convention on International Trade in Endangered Species, an international agreement that regulates the international trade of wild animals and plants in order to prevent any threat to extinction of the species. The Bill will provide for the designation of a (i) Management Authority which grants export or import permits for trade of specimens; and, (ii) Scientific Authority which gives advice on aspects related to impact on the

survival of the specimens being traded. Thus, it is bringing us under a global agreement and is, therefore, a welcome provision.

Now, I come to problems that need to be addressed in this Bill. First is the issue of vermin. Under the Wild Life (Protection) Amendment Bill, 2021, any species, falling under Schedule-II, may be declared as vermin. The Bill also does not define the world 'vermin', thereby empowering the Central Government to directly declare any species as vermin. The particular species will not be covered under the Wild Life (Protection) Act and can be hunted or culled without restriction once declared as vermin.

This specific change is projected to impact 41 species of mammals, 864 birds, 17 reptiles and amphibians and 58 insects as they may be declared vermin and will be subject to hunting and killing. Thus, a more scientific approach should be taken in declaring an animal as vermin.

Human-wildlife conflict is another issue that needs to be addressed. This issue of vermin is part of a bigger problem of human-wildlife conflict. Several States have reported crop loss, incidents of crop-raiding and other incidents of crop damage due to animals. However, if the Central Government starts declaring a lot of these animals as vermin, they would be up for indiscriminate killing. The act of killing could result in severe ecological imbalance and impact the food chain in the region. Thus, a more scientific approach has to be taken in declaration of any species as vermin and also the human-wildlife conflicts have to be addressed in a better way.

Human-wildlife conflicts are also increasing due to habitat destruction, encroachment and the developmental works, industrialization and agricultural expansion which lead to reduced forest cover and reduced land for wild animals. Therefore, these issues have also to be addressed.

Sir, Andhra Pradesh has taken several steps in this regard by involving the local community from different areas to help in reducing the human-animal conflict and ensuring protection of their wild habitat.

Now, Sir, I come to elephant trade which is effectively addressed in the State. While Section 43 of the principal Act clearly provides for a ban on any sale or transfer of captive animals in their ownership, the proposed amendment Bill introduces an

exemption Clause to Section 43 in the case of transfer or transport of ownership of live elephants. This exception has the potential of encouraging commercial trade of elephants which may lead to elephants being subjected to captivity and brutality. Therefore, the earlier ban should be upheld even in the case of elephants and additional mechanism may be introduced for acquiring elephants for religious institutions.

Now, I come to missing species. Sir, the species listed in all three Schedules of the Bill are incomplete as has been pointed out by several wildlife organizations as well as the Report submitted by the Parliamentary Standing Committee on the Bill. So, there is need for a greater inclusion of scientists, botanists, biologists and others in the process of listing all the existing species of wildlife.

Now, I come to elimination of State Board for Wildlife. Sir, as per the existing Act, there exists a State Board for Wildlife headed by the Chief Minister as its Chairman and the Minister in-charge of forest and wildlife as its Vice-Chairman. The proposed Bill renders the State Board defunct and instead provides for the establishment of a Standing Committee of the State Board for Wildlife which is to be headed by the Vice-Chairman i.e., Forest Minister and 'not more than ten members to be nominated by the Forest Minister. Therefore, it decreases the State's involvement and ability to take decisions in matters of wildlife.

Sir, Andhra Pradesh wildlife conservation efforts are worth mentioning. I would like to take this opportunity to highlight some of the successful endeavours undertaken by the Government of Andhra Pradesh towards wildlife conservation.The tiger numbers are on the rise. The tiger numbers in the State have seen a sixty per cent rise from 47 in the year 2018 to 75 in 2022, with 64 in Nagarjunasagar Srisailam Tiger Reserve, 9 in Seshachalam corridor and 2 in Papikondalu through a process of taking census with a more scientific method employing drones and cameras. We are also proud to have the country's largest tiger reserve NSTR in Andhra Pradesh, spread over 3,727.82 sq. km.

For the first time, a blackbuck survey has been conducted by the Andhra Pradesh State Wildlife Department. The department started the first-ever survey of blackbucks along a strech of islands in the Godavari between Dowleswaram and Yanam with the goal of drawing up a conservation plan to protect the endangered species.

Nodal officers are being deployed, especially in places like Vijayawada, Vizag to prevent cases pertaining to cruelty against animals. The district police have appointed a Circle Inspector as the nodal officer to protect the animals. People may contact the officer to register complaints pertaining to cruelty against animals or cases of smuggling.

There is also an ongoing plan for upgradation of infrastructure in Indira Gandhi Zoological Park in Visakhapatnam. The State has also been focussing on rescuing the king cobras in North Coastal Andhra Pradesh with its King Cobra Conservation Programme, rescuing a good number of king cobras in the past three years to minimise the man-animal conflict across the State. The Forest Department has been working on several areas to address wildlife conservation and would appreciate the assistance of the Central Government in scaling up these efforts.

While inclusion of CITES is a welcome step, it is more focused on regulation of trade of wildlife rather than its conservation.

Protection of wildlife has to be seen along with protection of their wild habitat and, therefore, we need to see the Bill in accordance with the Forest Conservation Act and the Environment Protection Act.

With these suggestions, we, on behalf of YSR (Congress) Party support the Bill.

**प्रो. मनोज कुमार झा** (बिहार) : शुक्रिया उपसभापति महोदय, यह 'The Wild Life (Protection) Amendment Bill, 2022' कई बाधाओं को पार करके आज इस मुकाम तक पहुंचा है। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। हालांकि इसमें बहुत वक्त लगा, लेकिन हम सुनते रहते थे कि इस पर यह काम हो रहा है, वह काम हो रहा है या यहां टेस्टिमोनियल आ रहा है।

महोदय, बधाई के साथ-साथ मेरे कुछ ऑब्ज़र्वेशंस भी हैं। मैं समझता हूं कि मैं उनके बारे में अवश्य जिक्र करूंगा। आपको पसंद आए तो ग्रहण कीजिएगा, न पसंद आए, तो भी ग्रहण करने की कोशिश कीजिएगा। ...**(व्यवधान)**... जी हां, संग्रहण कीजिएगा।

माननीय उपसभापति महोदय, इस बिल का क्यों आना हुआ, इसकी क्या वजह है, यह हम सब जानते हैं। मंत्री महोदय ने अपने आरम्भिक सम्बोधन में इस पर अपनी बातें रखीं। मेरी चिंता,

या यूं कहूं कि दुविधा बीते 2019 के बाद से, जब से दोबारा इनकी सरकार बनी है, तब से है। अभी मैं अपने एक साथी से बात कर रहा था, जो अक़सर हमारे भाजपा के साथियों के साथ मित्रवत रहते हैं। उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि बिल का मज़मून कुछ भी हो, लेकिन सारे बिल्स में एक चीज़ कॉमन है कि कहीं न कहीं इनमें फैडरल स्ट्रक्चर को चोट पहुंचाने की कोशिश होती है। मुझे लगता है कि कुछ वर्षों बाद, अगर आप ही की सत्ता बनी रही, तो शायद राज्य नाम की अवधारणा ही कहीं खत्म न हो जाए। तब 'India is a Union of States' के बदले रहेगा 'India is a Union of Union'. यह एक पहली चिंता है, जिसको आप जानते हैं कि आप ही मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाएंगे, आप ही साइंटिफिक अथॉरिटी बनाएंगे, आप ही को एम्पॉवर किया जाना चाहिए।

**5.00 P.M.**

माननीय मंत्री महोदय ने एक बात कही और उन्होंने यह सही बात कही कि यह यूपीए के दौरान का ही कमिटमेंट था। ज़ाहिर है, हमारे कुछ इंटरनेशनल कमिटमेंट्स भी थे, जैसे बीते दिनों अंटार्कटिका वाला बिल भी इसी सदन से पास हुआ था। कहा गया कि यह एक कमिटमेंट है, तो मैं आपके माध्यम से सदन के समक्ष कुछ और कमिटमेंट्स भी रखता हूं, जिन पर फ़ौरी तौर पर पहल होनी चाहिए, because we have largely been silent on those. A couple of them are, just note: International Covenant on Economic Social and Cultural Rights, which talk about no distinction; the Committee on Elimination of Racial Discriminatioin; the International Covenant on Civil and Political Rights; There are a lot many. अभी, आज सुबह ही माननीय प्रधान मंत्री जी ने भी कहा, फिर माननीय विदेश मंत्री साहब ने भी कहा, माननीय सभापति महोदय, जिन्होंने आसन ग्रहण किया, उन्होंने जी-20 की बात की। एक पृथ्वी, one Earth - कहते हैं कि one family, one future. सर, उसके अन्दर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि दुनिया में दीवार गिराने से पहले अपनी दीवारें भी गिरायी जाएँ। वह हमारा एक उद्देश्य होना चाहिए। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में भी जब आप जी-20 में और बाकी देशों के साथ बात करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ों में आपके लिए एक्सचेंज की बात होगी।

माननीय मंत्री महोदय, अब एक मसला ऐसा है, जिसको आपने कमोबेश पूरी शिद्दत से एड्रेस नहीं किया है। अभी सितम्बर के महीने में इस देश में कुनो में 8 चीते आये। इसकी बड़ी चर्चा हुई। चीते ने कब खाया, चीता कब उठा, चीता ठीक से नहीं सोया, चीता आज रात बढ़िया से सोया, अब चीते ने जवाब देना शुरू कर दिया है, तो पूरा देश चीतामय हो गया था। **...(व्यवधान)...** अब चीतामय देश में हम भूल गये कि सहरिया ट्राइबल्स के साथ क्या हुआ! बागचा गाँव के सहरिया ट्राइबल्स को डिसप्लेस किया गया। मैं एनिमल विरोधी नहीं हूँ, हो भी नहीं सकता, मुझे बहुत ट्रेनिंग मिली है। लेकिन सर, ईश्वर न करे कि कभी ऐसी दुविधा हो कि हमें चुनना पड़े कि जिन्दा इंसान, उनके सरोकारों से विमुख जाकर, कितना दूर तक हम जा सकते हैं। इससे पहले एशियाटिक लॉयन आया था। तब भी ये डिसप्लेसमेंट्स हुए थे। यह ऑन रिकॉर्ड है। अब तो हमारे आदिवासी समुदाय के जो लोग हैं, वे कहते हैं कि न धरती अपनी, न जंगल अपना। मैं तो उस डिबेट में जाना ही नहीं चाहता कि वनवासी या आदिवासी। कुछ भी कह लीजिए, कोई भी वासी, लेकिन उनकी बसावट की चिन्ता अगर नहीं है - मैं चीता विरोधी नहीं हूँ, यह मैं फिर से

दोहरा रहा हूँ, मैं भी चीते का बहुत समर्थक हूँ, लेकिन चीता भी ज्यादा प्रसन्न होता, अगर उसको किसी का घर उजाड़ना नहीं पड़ता।

सर, मैं आपकी अभी तक की जो व्यवस्थाएँ देख रहा हूँ, इसमें - सर, मैं चार मिनट बोल भी गया! सॉरी, सर। Criminalisation of tribes. मैं माननीय मंत्री महोदय से एक आग्रह करूँगा। जब कभी ऑफेंस की बात आयी, आपने पेनल्टी बढ़ायी है, जेल टर्म बढ़ायी है। आप एक बार एफआईआर पढ़िए। किस तरह के एफआईआर लिखे जाते हैं और उसमें कौन फँसता है? एफआईआर की बात, क्योंकि उसने इस कानून को वॉयलेट किया है, मैं उस संदर्भ में कह रहा हूँ। ...(**समय की घंटी**)... माननीय मंत्री महोदय से सवाल पूछने का अधिकार है। मैं उनको यही कह रहा था कि narratives of offences are constituted on the actions of the accused person. Please read the FIR.

**श्री भूपेन्द्र यादव** : कौन सा एफआईआर? **...(व्यवधान)...**

**प्रो. मनोज कुमार झा** : जो वाइल्ड लाइफ लॉ के वॉयलेशन की बात होती है **...(व्यवधान)...**

**श्री उपसभापति** : उनका कहना है कि आप उनसे पूछें तो आपको सुविधा होगी। **...(व्यवधान)...**

**प्रो. मनोज कुमार झा** : आपकी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ के अनचेक्ड पावर्स हैं। आप उस पर थोड़ा काम कीजिए। Wildlife Protection Act is specifically targeting and prosecuting forest dwellers. कई लोगों ने, जो मानवाधिकार के लिए काम कर रहे हैं, उन्होंने भी लगातार यह एक बात कही है। मैं एक आग्रह करूँगा कि दुनिया का, खास कर यूएस का अभी देखा है कि Establishment of National Wildlife Corridor System ...(**समय की घंटी**)... सर, मैं बस एक मिनट लूँगा।

**श्री उपसभापति** : एक मिनट हो चुका है।

**प्रो. मनोज कुमार झा** : उस तरह का, जो यूएस की तरह का है, एक वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर सिस्टम हम विकसित करें।

सर, मैं आखिर में यह कहूँगा, जो मैं कहना नहीं चाहता था। कई साथियों ने कहा, सेक्शन 43 (1), आप हाथी पर बड़े मेहरबान हैं। इसका मतलब मेरी समझ में नहीं आया। 'हाथी मेरे साथी' फिल्म बहुत पहले रिलीज़ हुई थी, लेकिन हाथी के महिमामंडन में आपने religious and other purposes किया है, तो बाकी के स्पीशिज़ ने क्या बिगाड़ा है? अगर कभी हाथी अपनी जुबान से बोल पाये, तो वह भी यह रिलीफ नहीं चाहता होगा, क्योंकि हाथियों के संदर्भ में भी कहा जाता है कि post-traumatic disorder, जब उसका डिसप्ले होता है, एक्ज़िबिशनिज्म की

पोलिटिक्स होती है, तो उसका क्या होता है? ...(**समय की घंटी**)... बहरहाल सर, मैं माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देते हुए अपनी बात यहीं खत्म करूँगा।

सर, जैसा मैंने शुरू में कहा था कि इसे ग्रहण करना हो, तो करिए, लेकिन चीते और हाथी की कीमत पर अपने आदिवासी समुदाय और न बिछड़ जाएँ। शुक्रिया, सर। जय हिन्द!

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Dr. John Brittas.

DR. JOHN BRITTAS (Kerala): Thank you, Sir. Sir, so much has been talked about the various provisions and the hon. Minister has concluded his initial remarks by saying that he was reciprocating to the international treaty to which we are part of.Sir, my concern is that there is a deliberate design in every action of this Government to usurp into the powers of the States. Sivaji is here. Sir, I am astonished that my colleagues from Andhra Pradesh, Odisha, were all welcoming this Bill without understanding the so-called scheme of this Government to get into the powers of the States.

Bhupender Saheb, you are a nice man though I don't agree with your politics. You shouldn't be part of the scheme of distorting the federal principles of this country. There are three 'Us.' What are these? One is 'Unitary'. They don't want a federal Constitution. Then after, 'Unitary', 'Unilateral'; and they want another thing, that is, 'Uniformity'. Sivaji is here. He represents Tamil Nadu. Sasmitji, I was slightly, I would say, disillusioned. Your party colleague didn't even see to the game. I will come to that point. Thambiduraiji, you are also a federal man. You should understand that. Sir, in the principal Act, Section 29 permits 'State Governments being satisfied in consultation with the State Board to authorize the Chief Wildlife Warden to issue a permit to destroy, exploit,' and so on. Sir, Clause 11 of the new Amendment Bill tries to take away this right of the consultation with State Board of Wildlife by proposing to substitute the same with National Board, not only infringing the principles of cooperative federalism but also having far-reaching consequences as the National Board can effectively block any proposal from the State. Sir, do you think that this country should be run only by the Central Government? You want only the Union Government. You dismiss all the State Governments. Even otherwise, you have a dangerous scheme of destabilizing Opposition-led State Governments. If you can't do that, you disrupt the Government; you defame the Government. Even the Bill camouflages your intention of taking away every right of the State Government. I strongly oppose this Bill because of this.

Sir, one more thing. I will come to another clause. Sasmitji, you should be supporting my Bill. You are supporting the Government without knowing the nuances of this Bill. Now, Clause 27 of the new Amendment Bill proposes for adding a new proviso to Section 43 of the principal Act. 'Transfer or transport of captive elephant for religious ...' Okay; I will not read it. And, this should be prescribed by the Central Government. सर, हम कहाँ हैं? सर, आप बिहार से हैं, क्या बिहार गवर्नमेंट का कोई इरादा नहीं है? Sir, should we surrender all the powers to them? Don't we have a federal Constitution? They harp on 'cooperative federalism' every time, from Prime Minister. But even for a Bill like this, they get into the small nitty-gritty where the State Government has some flexibility.

Sir, I would say, there are so many clauses which infringe on the rights of the State Government. ..*(Time-bell rings)*... Sir, give me some time. It is very important. This deals with the federalism. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please. ...*(Interruptions)*...

DR. JOHN BRITTAS: Sir, Mr. Chairman has been very liberal today. You should also toe his line. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: According to Mr. Chairman I am going. ...*(Interruptions)*... Please conclude.

DR. JOHN BRITTAS: Sir, you are 'declaring the vermin'. Sir, whenever we meet the Minister, he says, 'No, no, we cannot allow the wild boars to be killed in Kerala because the tiger has to be given its feed. क्या आप टाइगर के लिए हैं? You are not for the human beings! You know the havoc being played in Kerala. Sir, I would say, in a single year, 88 people have been killed. The incidents of crop damage is more than 2,000 despite the fact that we have increased the forest cover. Sir, don't blame us. We have been deliberately consciously trying to nurture the forest cover. But what are we being paid at? You don't allow us. The farmers are feeling their cultivable land. Thakur Saheb, you are a farmer. Today, you have been harping about the *Dhartiputra, Kashaputra*, and what not. Do you not want the farmers to survive here? I would request the hon. Minister to strike a balance and try to make sure that the rights of the States are protected. He should also make sure that the livelihood of the people is protected and all the clauses which are detrimental to the principles of

federalism should be withdrawn. Thank you very much.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you, Dr. John Brittas. Shri Aneel Prasad Hegde; maiden speech.

SHRI ANEEL PRASAD HEGDE (Bihar): Mr. Deputy Chairman, Sir, I rise to speak on the Wild Life Protection (Amendment) Bill, 2022.

First of all, I would like to congratulate the Government for inserting provisions to control the invasive alien species. Sir, these invasive alien species have caused irreparable loss elsewhere in the world and even in our country. These invasive alien species are not natural to our biome. Genetically modified organisms are also invasive alien species, Sir. These need deadly pesticides and herbicides. These herbicides and pesticides harm the bees. As you know, bees are pollinators. Because of the pollination we get more yield. सर, इसमें हाथी के बारे में भी जिक्र है। मैसूर के पास जो बांदीपुर फॉरेस्ट एरिया है, वहाँ लोग एचटी कॉटन की फसल उगाते हैं। वहाँ पर ड्रोन के माध्यम से हर्बिसाइट का छिड़काव होता है, जबकि वहाँ के कॉटन फील्ड्स में हाथी अधिक संख्या में आते हैं। इस बारे में आज तक स्टडी नहीं हुई है कि हर्बिसाइट के छिड़काव से हाथियों को क्या हानि पहुँची है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारी पार्टी के नेता और बिहार के मुख्य मंत्री जी ने वर्ष 2009 में उस समय के तत्कालीन एन्वॉयरनमेंट मिनिस्टर को एक चिट्ठी तब लिखी थी, जब GEAC ने बीटी-ब्रिंजल को क्लियरेंस दिया था। I want to congratulate Shri Jairam Ramesh, who was the Environment Minister then. इन्होंने देश भर में सात जगह पर इसके बारे में पब्लिक हियरिंग रखी थी और लोगों तथा अपोजिशन को सुना था। उसके बाद, उन्होंने मोरेटोरियम लगा दिया। Sir, we are sorry to say that we got to know that on October 25th, GEAC, the Genetic Engineering Appraisal Committee, under your Ministry, has given clearance to genetically modified mustard. Sir, India is a centre of diversity for mustard and this crop would need a lot of herbicides because of which the pollinators will die and become extinct.

**श्री उपसभापति :** माननीय हेगडे जी, माननीय मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं।

**श्री भूपेन्द्र यादव :** माननीय हेगडे जी, मेरा आपके लिए काफी सम्मान है, लेकिन मेरा यह कहना है कि चर्चा वाइल्ड लाइफ एक्ट पर है, जीएम क्रॉप्स पर नहीं है। उसके लिए अलग से प्रश्न आएगा, मैं जवाब दूँगा। आप वाइल्ड लाइफ एक्ट पर बोलिए। ...**(व्यवधान)**...

**श्री अनिल प्रसाद हेगडे :** पॉलिनेटर्स खत्म हो रहे हैं, बीज खत्म हो रहे हैं। आप अमेरिकन टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं, जबकि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में बात करते हैं! **...(व्यवधान)...**

**श्री भूपेन्द्र यादव :** चर्चा वाइल्ड लाइफ एक्ट पर है।

**श्री उपसभापति :** माननीय हेगडे जी, the subject is 'Wild Life Protection (Amendment) Bill'.

**श्री अनिल प्रसाद हेगडे :** ठीक है, मैं आधे मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूँ।

My appeal to you, Sir, is GMOs should also be listed as invasive alien species. I request you to take care that these invasive alien species are not introduced in the country as a precautionary principle. I would appeal to you through the Deputy Chairman that you should not rush through this Bill and be in a hurry.

SHRI JOSE K. MANI (Kerala): Sir, this Wildlife Protection (Amendment) Bill has a lot of concern, in general, and to the State of Kerala, in particular. As you know, Kerala is a small strip of land. On the national level extant, Kerala has only 1.1 per cent land area. Population-wise, it houses 3.13 per cent when we compare it to national level population. We have forest area about 27 per cent or 28 per cent which is more than the national average. The forest cover is 54 per cent when we compare it to the national level. The Government of India is claiming 33 per cent; we have 54 per cent. So, it is evident that the State Government of Kerala, the farmers and the people of Kerala protect the forest and also the environment. Now, this Bill has totally neglected the animals and human-animal conflicts. Kerala is one of the densely-populated States of India. It has very high forest cover. Since 2011, 34,875 incidents of wildlife conflicts have been reported in Kerala. During the last decade, more than 1,300 human beings lost their lives and more than 7,000 were injured. This is what has happened in Kerala alone. The Wildlife Protection Act states that this Act aims 'To protect the animals from humans', presuming that animals will be inside the forest. It was introduced in 1972, about 50 years back. More than seven decades have elapsed. The situation has changed now. Animals have started coming to the habitat area and attacking human beings. If we kill an animal for self-protection, we will be behind the bars and the animal is protected. If you take wild boar, it has huge population. After 2018 flood, 40 per cent of wild boars are not in the forest area; they have come to the habitat area. Wild boars are food to tigers, and they are coming out

of forest area to catch the wild boars, and they are also attacking the human beings. It is a fact of life.

Sir, there are some suggestions for the Government. First, declare animals like wild boar as vermin as their population has multiplied a thousand times and now lives in human habitations. The Government should amend the Wildlife (Protection) Act, 1972 to allow the State Governments to declare wild animals as vermin as and when the situation arises. Secondly, based on the existing wildlife law, people are not able to protect themselves against the attack from wild animals that encroach into their living spaces or agricultural lands. Amend the law to give protection to people who attack animals in self-defence and exempt them from charges. On the line of Motor Accidents Claims Tribunal, set up a Wildlife Accident Claims Tribunal for granting adequate and timely compensation for the loss of life and agricultural crops due to wildlife attacks. Lastly, in order to prevent further loss of human life and to control the damage caused by wild animals in areas outside the forest, 500 metre interior from there should be forest boundary, that is, Human Sensitive Zone so as to restrict wild animals at the Human Sensitive Zone border. ...*(Interruptions)*... Kerala has a huge forest cover of 54 per cent.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you. Please conclude. ...*(Interruptions)*...

SHRI JOSE K. MANI: We are protecting the environment and the forest. ...*(Interruptions)*... The sensitive area should be inside so that the animals do not come out. ...*(Interruptions)*... *

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is not going on record. Now, Shri Kanakamedala Ravindra Kumar. ...*(Interruptions)*...

SHRI KANAKAMEDALA RAVINDRA KUMAR (Andhra Pradesh): Thank you, Mr. Deputy Chairman, Sir, for giving me this opportunity. We have to discuss this Bill keeping in mind not only in the Indian scenario but also the global scenario. I would like to state that the ecological security and the environmental security means the protection and safety of the wild animals, birds and plants, as they are also part and parcel of the ecosystem. That is why, it is our prime responsibility and each and every citizen in the entire society should see to it that the wildlife, especially wild animals,

---

*Not recorded.

birds and plants are protected. Security and safety of these things have to be given the prime consideration.

In Clause 2, sub-clause (vi), prior to this Amendment, there was a definition which included cattle. Subsequently, in the 1991 Amendment, it was omitted. At the same time, there is a Part-I Schedule also which states that tamed animals have to be protected. My suggestion is that it should be incorporated in the Schedule because Asiatic elephant is there in the Bill. It includes Asiatic elephant, but excludes the tamed elephants. So, the tamed elephants should also be protected.

Now, I come to Clause 3 of the Bill which talks about 'invasive alien species'. I will give an example from my home State of Andhra Pradesh about the introduction of an exotic plant species in 1980s in Seshachalam Hills. It has disturbed the ecological balance in Chittoor, Kadapa and Nellore districts of Andhra Pradesh. Now, we have to replace it with native species. Otherwise, the entire biosphere of Seshachalam, which is home to several endemic plants like Red Sandal, Cycas, etc., would be destroyed. So, Clause 3, which deals with it, is a good move.

Secondly, in Appendix-2 of Schedule-IV, Item No.444, it has mentioned about Pterocarpus Santalinus. It is the scientific name for Red Sandal Tree which is available only in Seshachalam forest in Chittoor of Andhra Pradesh. It is smuggled out of the country by local smugglers. You might have seen if you saw the movie *Pushpa* recently which depicted these types of scenes. It is smuggled out of our country and any action for smuggling of Red Sandal comes under the Customs Act and not under the Wildlife Protection Act. It is because this tree is not covered under the Scheduled Species. So, I suggest for consideration of the hon. Minister to include Red Sandal under the relevant Schedule which will help to take action under this legislation, thereby we can reduce smuggling and save Red Sandal from extinction. In Andhra Pradesh, crores of rupees are earned by the smugglers, and the local Government is not taking any action to curb these practices.

Then, Clause 62 of the Bill empowers the Government of India to declare any animal as vermin. We call vermin as 'nuisance animals', as they destroy our crops, kill livestock and spread diseases. But, it does not mean that we kill them left and right! Nothing has been mentioned in this Clause on the process to be followed to identify as to which animals are vermin. No transparent and accountable process, based on ecological and social evidence, has been prescribed. *(Time-bell rings.)*

The movement of wild animals is declared as vermin. It loses legal protection and such animals become domestic animals and can be killed, tamed or traded. So, I feel it will have ecological consequences. *(Time-bell rings.)*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Ravindra Kumarji, please conclude.

SHRI KANAKAMEDALA RAVINDRA KUMAR: Even the National Board for Wildlife has to be categorically given such directions. Then, the Bill proposes to increase penalties. That is also a welcome step. These are the points that I wish to bring to the notice of the hon. Minister and urge him to act accordingly taking into consideration these appropriate suggestions. Thank you, Sir.

**श्री रामजी** (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति जी, आपने मुझे इस बिल पर बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए आपका धन्यवाद। वाइल्ड लाइफ (प्रोटेक्शन) अमेंडमेंट बिल, 2022 के संबंध में माननीय मंत्री जी ने कहा कि सरकार के द्वारा CITES के बीच में इंटरनेशनल एग्रीमेंट होगा। इसमें कुछ शंकाएं मन में आती हैं कि हम इंटरनेशनल लेवल पर क्या अपने वाइल्ड एनिमल्स या प्लांट्स की ट्रेडिंग करने की शुरुआत करने जा रहे हैं? इसको रोकने के लिए क्या इसके अंदर कोई व्यवस्था है? CITES में यह बात देखी गई है कि कहीं न कहीं पूरे देश में लीगल या इल्लीगल रूप से वाइल्ड एनिमल्स या प्लांट्स की ट्रेडिंग की शुरुआत हुई है। इसमें कई सारी शंकाएं भी हैं।

उपसभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि कई सारी चीज़ें देखने को मिली हैं कि वाइल्ड लाइफ (प्रोटेक्शन) बिल के तहत जो आदिवासी जंगलों में रहते हैं या वनवासी जंगलों में रहते हैं, उनको विस्थापित करने की व्यवस्था है। उनको सिर्फ दस लाख रुपये का मुआवजा मिलता है, लेकिन दस लाख रुपये में न तो वे जंगल से बाहर जाकर अपना घर बना सकते हैं और न ही अपने जीवन के भरण-पोषण की कोई व्यवस्था कर सकते हैं। इसको देखते हुए मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि इस व्यवस्था को बढ़ाकर 10 लाख की बजाय 25-50 लाख रुपये किया जाए। साथ ही अगर यह जंगल, जमीन किसी उद्योगपति के लिए खाली कराई जाती है, तो उसके लिए कठिन से कठिन नियम कानून बनाए जाएं, ताकि जंगल और इस जमीन में रहने वाले लोगों को सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं हटाया जाए। छत्तीसगढ़ में हसदेव अरण्य की एक ऐसी घटना देखने को मिली है। हसदेव अरण्य को बचाने के लिए छत्तीसगढ़ के आदिवासी भाई लोग एक हुए, लेकिन वे हसदेव अरण्य को नहीं बचा पाए। वहां साढ़े चार लाख पेड़ काटने का आदेश हुआ। दस हज़ार आदिवासियों को विस्थापित करने का आदेश हुआ। उनको जबरन, फोर्सफुली विस्थापित किया गया, जबकि वे नहीं चाह रहे थे। उसके बाद वहां पर बड़ी-बड़ी कंपनियां आएंगी। वे वहां वन संपदा के साथ भूमि संपदा, खनिज संपदा के दोहन का काम करती हैं। इन चीज़ों के संबंध में मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इसके लिए कोई न कोई ठोस कदम उठाए जाएं और कोई ठोस व्यवस्था की जाए, ताकि जो वन आदिवासी या वनवासी हैं या आदिवासी समाज के लोग हैं, उनको बचाया जा सके।

साथ ही मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान अपने लखीमपुर खीरी की तरफ लाना चाहता हूं। वहां का अधिकतम क्षेत्र वन आच्छादित है और तराई क्षेत्र होने की वजह से कई सारे जीव-जन्तु वहां के जंगलों में देखने को मिलते हैं। वहां टाइगर, भालू, चीतल, हिरन आदि तमाम तरह के वन्य जीव देखने को मिलते हैं। इन वन्य जीवों और वहां रहने वाले लोगों के बीच कई बार आपस में द्वंद्व होता है, उसमें कई लोगों की जान गई है। पिछले दो-तीन महीने के अंदर 6 लोगों की मौत टाइगर द्वारा हुई है। वहां पर सरकार की तरफ से केवल पांच लाख रुपये के मुआवजे की व्यवस्था है, जबकि महाराष्ट्र के अंदर अगर वन्य जीव के द्वारा किसी भी व्यक्ति की मौत होती है, तो बीस लाख रुपया मिलता है। सरकार यह प्रावधान लेकर आए कि इसमें एकरूपता होनी चाहिए। एक मनुष्य का जीवन महाराष्ट्र में बीस लाख रुपये है और उसी मनुष्य का जीवन उत्तर प्रदेश में पांच लाख रुपये का है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इसमें भी एकरूपता होनी चाहिए। **...(समय की घंटी)...**

महोदय, मैं एक लास्ट प्वाइंट कहना चाहूंगा। चूंकि मैं लखीमपुर से हूं, तो वहां के संबंध में एक और बात कहना चाहूंगा। तराई क्षेत्र होने की वजह से वहां पर बहुत सारे वेटलैंड बरसात के समय बन जाते हैं। उनमें तमाम तरह की जैव विविधता उत्पन्न होती है और बाहर से तमाम तरह के साइबेरियन पक्षी आते हैं, जो ठंडक में वहां पर रहते हैं। यहां तक सारस और हंस जैसे पक्षी भी वहां पर अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन कुछ दिनों से यह देखने को मिल रहा है कि बड़े-बड़े भू-माफिया अधिकारियों से मिलीभगत करके उन वेटलैंड को पार करके वहां पर प्लॉटिंग करते हैं और मकान बनाते हैं। इसको भी रोकने की व्यवस्था मैं आपके माध्यम से सरकार से चाहता हूं, धन्यवाद।

SHRI G.K. VASAN (Kerala): Mr. Deputy Chairman, Sir, first of all, I thank you for giving me the opportunity to speak. Sir, it is our collective responsibility to protect the environment which is essential for the survival of flora and fauna. I would like to seek a clarification from the hon. Minister on one aspect.

Traditionally, the declaration of wild animal as vermin has been done without any scientific assessment or study, and, in the case of this Bill, it would now mean that species such as Striped Hyena, Indian Fox, Bengal Fox, etc., could be declared as vermin very easily. This would have far-reaching consequences for the environmental ecosystem and may result in an imbalance. It could also affect other endangered species, which could be harmed due to traps set out for hunting and sale of vermin. Therefore, Sir, there is a need for clarity on what types of animals can be declared as vermin. Overall sentiment and direction of the Bill is something that no well-wisher of the country on its flora and fauna can deny. With these words, I welcome the Bill. Thank you.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shri Abdul Wahab; not present. Shri Birendra Prasad Baishya; not present. Shri Binoy Viswam.

SHRI BINOY VISWAM (Kerala): Sir, I question the purpose of the Bill and the intention of the Government behind the Bill. When I question the intention, I would like to remind the Government and the hon. Minister the famous quote from our traditional scripts, which means to say 'the whole universe and the world is one place', the *Needam*. That was the concept of our forefathers and I share that view. I am a communist and I share that view that the universe and the world is '*Eka Needam*' in which all of us are supposed to live together. When we say 'all of us', it does not mean 'you' or 'me', the human kind, the rich people; no! This earth has a place for the wildlife also, for the plants also. All living beings should have a place there. That is the concept. If you allow me to quote Karl Marx, I will quote from him. He said 'man lives on nature, that is, nature is his body with which he must remain in continuous interchange if he is not to die. To say physical and spiritual life is linked to nature means that nature is linked to itself, for man is a part of nature.' This is the method of nature. I am asking you whether this idea is being shared by your Bill. Intent, modern scientific outlook, all have been ignored. Sir, I will again quote from Marx. "Even an entire society, a nation, or all simultaneously existing societies taken together are not the owners of the earth. They are simply its possessors, its beneficiaries and have to bequeath it in an improved state to succeeding generations." That is our duty. So, we have to bequeath it to the coming generations, but we are not fulfilling the duty. This Government is committed to Paris Agreement. We chair the G-20. In that way, we are committed to bio-diversity, to the environment, and in that way, to the wildlife also. I am telling the Minister very politely, many of the provisions of this Bill contradict the Biological Diversity Act. If we have time, we can explain it in bits. Sir, this is a trade oriented amendment. This is mainly for traders and traders are for profits. Wildlife and all its subsidiary parts are for international trade. You are talking of CITES. The CITES is regarding trade only. The full form is clear - International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. You asked here ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Binoy Viswam ji, please conclude.

SHRI BINOY VISWAM: Sir, this Act affects the lives of the wild bees also. ...*(Interruptions)*... Bees are important for the country, for the economy also. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Binoy Viswam ji, please conclude.

SHRI BINOY VISWAM: All these basic approaches are forgotten in this Bill. Sir, I request you to reconsider this Bill. Please refer this Bill to a Standing Committee.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I am calling the next speaker now. Please conclude. You have taken more time.

SHRI BINOY VISWAM: Please refer this Bill to a Standing Committee. Support me, Sir. I request him to refer this Bill to a Standing Committee for proper debate and discussion to make it foolproof. I believe he will agree with me on this. Thank you, Sir.

**श्री राकेश सिन्हा** (नाम निर्देशित) : उपसभापति महोदय, मैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

मैं मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि एक वैल ड्राफ्टेड, वैल थॉट बिल को उन्होंने सदन के सामने प्रस्तुत किया है। जिस बात की कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज़ की चर्चा आज से 20 वर्ष पहले होनी चाहिए थी, यह समझौता 1973 में वाशिंगटन में हुआ था। भारत ने 1976 में इसका रेक्टिफिकेशन किया। 1979 में इसका एक अमेंडमेंट हुआ था। 1976 से लेकर लगभग 40-50 वर्षों तक हमने इस पर ध्यान नहीं दिया। भारत को इसके लिए कई बार फटकार मिली। 183 देश इस कन्वेंशन में शामिल हैं, उनमें से 182 देशों से भारत के ट्रेड पर प्रतिबंध लगाने की भी धमकी दी गई थी। प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में उन बातों पर ध्यान दिया जा रहा है, जो अब तक उपेक्षित थीं, लेकिन जो मानव अस्तित्व के लिए, पृथ्वी के अस्तित्व के लिए और हमारे पर्यावरण के लिए आवश्यक हैं, जो राजनीति का हिस्सा नहीं हैं। नई दिल्ली में चाहे जिसकी भी सरकार हो, पर्यावरण मंत्री और प्रधान मंत्री चाहे कोई भी हों, कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं, जो मानव के अस्तित्व से, मानव के हित से और पृथ्वी के संरक्षण से जुड़े होते हैं, वे राजनीति का विषय नहीं हैं। दुर्भाग्य की बात है कि मैं जिस बात की आज चर्चा नहीं करना चाहता था, मैं इस बिल पर आने से पहले उन दो बातों की चर्चा करूंगा। विपक्ष से एक बात आई कि यह बिल संघीय व्यवस्था के प्रतिकूल है। कैसे प्रतिकूल है, उसकी कोई तार्किक बात नहीं कही गई। संघीय व्यवस्था कोई नारे की चीज़ नहीं है। संघीय व्यवस्था की पवित्रता को यह देश जानता है कि राज्य और केन्द्र के बीच हमारा सम्बन्ध एक पवित्र सम्बन्ध है, वह रिश्ता कोई ऑपोर्च्युनिज़्म का नहीं है, अवसर का नहीं है, वह रिश्ता सिर्फ संवैधानिक बातों से ही स्थापित नहीं है। वह हमारी भावनात्मक बातों से स्थापित है।

भारत में 60 वर्षों से इन्वेसिव प्लांट्स और एनिमल्स के कारण 127 बिलियन रुपये का नुकसान पहुंचाया गया है। 127 बिलियन रुपये का तात्पर्य आप समझते हैं! खरबों रुपया आपने खो दिया। जिन ट्राइबल्स की बात कही जा रही है, जिस सहरिया ट्राइब की चर्चा करते हुए कहा गया

कि चीतों के लाने से वे ट्राइबल्स खतरे में आ गये हैं, उनको विस्थापित कर दिया गया है, गलत सूचनाओं के आधार पर सदन में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। सहरिया ट्राइब वहां पर है। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी का इस बात के लिए अभिनंदन करना चाहता हूं। चीता भारत में अन्तिम बार 1947 में देखा गया। 1952 में ऑफिशियली कहा गया कि चीतों की समाप्ति भारत से हो गई। 8 चीतों को लाया ही नहीं गया, बल्कि हमारा जो पृथ्वी का परिवार है, हम जो अर्थ को मां मानते हैं और अर्थ में रहने वाला चाहे पशु-पक्षी हो, चाहे वनस्पति हो, चाहे मनुष्य हो, उस भारतीय संस्कृति और परम्परा में हम एक-दूसरे से जुड़े होते हैं। उन चीतों को लाने का काम प्रधान मंत्री जी ने जब किया तो सहरिया ट्राइब के 20 से 22 परिवारों को व्यवस्था के तहत वहीं पर उन्हें विस्थापित किया गया। सहरिया ट्राइब की स्थिति क्या हुई! जो सहरिया ट्राइब के लोग दो जून खाने के लिए तरसते थे, पर्यटन के कारण सहरिया ट्राइब के लोगों की आमदनी, उनकी पर कैपिटा इनकम बढ़ी है, जिस बात के लिए माननीय प्रधान मंत्री जी का अभिनंदन किया जाना चाहिए, भारत सरकार का अभिनंदन करना चाहिए।

**(सभापति महोदय** *पीठासीन हुए।***)**

आज सहरिया ट्राइब में उन 8 चीतों के आने के बाद से उनका पूरा पर्यावरण बदल गया है, उनके जीवन का पर्यावरण बदल गया है। इसलिए पूरे देश और दुनिया को जानना चाहिए कि सिर्फ 8 चीते नहीं आए हैं, बल्कि भारत के वन्य जीवन के संरक्षण की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। इस महत्वपूर्ण कदम को लेकर उस ट्राइब के कंधे पर रख कर हम पर बंदूक नहीं चलानी चाहिए। आप वहाँ जाकर सहरिया ट्राइब से मिल कर आइए, जो नहीं गए हैं, जाकर देखें। पर्यटकों की संख्या बढ़ने का प्रभाव क्या होता है, यह शायद हम नहीं जानते हैं। यदि यही पर्यटन बिहार में बोध गया के नाम पर, वैशाली के नाम पर बढ़ गया होता, तो जीडीपी 7 प्रतिशत बढ़ता। आप पर्यटन नहीं बढ़ा रहे हैं, हम पर्यटन बढ़ा रहे हैं। जहाँ मौका मिल रहा है, हम लोगों के जीवन-स्तर को बढ़ाने का काम कर रहे हैं और वनवासियों के जीवन को सुरक्षित और संरक्षित कर रहे हैं।

सभापति महोदय, भारत में पूरी दुनिया का 8 प्रतिशत वाइल्ड लाइफ है। जो विविधता हमारे जीवन में है, वह विविधता हमारे वन्य जीवन में भी है। उस विविधता के संरक्षण में हमसे कहाँ चूक हुई? जब प्रधान मंत्री जी 'अमृत काल' कहते हैं, तो यह 'अमृत काल' सिर्फ हमारे लिए ही नहीं है, बल्कि उन पशु-पक्षियों के लिए भी है, जिनका शरण-स्थल भारत है। हम जिस संस्कृति से आते हैं, उस संस्कृति में हम सिर्फ स्वयं को नहीं देखते हैं, स्व को नहीं देखते हैं, बल्कि हम स्व की परिधि को इतना बड़ा करते हैं कि उसमें हमारे इर्द-गिर्द आने वाले पशु-पक्षी और वनस्पति भी आते हैं। क्या आपको मालूम है कि ऐसे 50 प्रतिशत पक्षी विलुप्त हो चुके हैं। वे क्यों विलुप्त हुए हैं? इसमें एक कारण तो प्रदूषण और पर्यावरण का होता है, दूसरा कारण ट्रैफिकिंग का है। दुनिया में जिस प्रकार की ट्रैफिकिंग होती है, उसमें पहली ट्रैफिकिंग नारकोटिक्स में है, दूसरी ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, तीसरी फोरफीटेड चीज़ो की है और जो चौथी ट्रैफिकिंग है, वह वाइल्ड लाइफ की चीजों की है। सभापति महोदय, इसकी मार्केट कितनी बड़ी है! 2021 में इस ट्रैफिकिंग से 19.2 बिलियन डॉलर की मार्केट हुई है। इसे भारत के आँकड़ों में देखा जाए, तो पूरी दुनिया में

खरबों रुपए की ट्रैफिकिंग हो रही है, जिसमें भारत की भागीदारी 20 प्रतिशत है। यदि यह 50 खरब है, तो उसकी 20 प्रतिशत ट्रैफिकिंग भारत से होती है। जब हम उस ट्रैफिकिंग को रोक रहे हैं, जब हम उस ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए कानून बना रहे हैं, तो उसमें कौन सी संघीय व्यवस्था को क्षति पहुँच रही है! क्षति उन माफियाओं को पहुँच रही है, जो अपने स्वार्थ के लिए पर्यावरण को समाप्त कर रहे हैं, जो अपने लाभ के लिए संघीय व्यवस्था को मोहरा बना कर हम पर आक्रमण कर रहे हैं। उन माफियाओं को, जो वन्य जीवन को समाप्त कर रहे हैं, उनके लिए यह खतरे की घंटी नहीं है, उनको सीधे-सीधे यह चेतावनी है।

सभापति महोदय, 1,20,000 प्लांट्स और एनिमल्स इन्वेसिव हैं। इन्वेसिव प्लांट्स और एनिमल्स उनको कहते हैं, जो किसी खास देश के नहीं होकर बाहर से आते हैं। बाहर से आने वाले ये प्लांट्स और एनिमल्स स्थानीय अर्थव्यवस्था को, पर्यावरण को खतरा पहुँचाते हैं। यानी इकोनॉमी को, इकोलॉजी को और एनवायरनमेंट को जो खतरा पहुँचाते हैं, ऐसे इन्वेसिव प्लांट्स हैं। इनकी संख्या 1,20,000 है, जो पूरी दुनिया के 6 देशों में हैं। उन 6 देशों में भारत भी है। वे देश हैं - यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका और भारत। 1,20,000 प्लांट्स और एनिमल्स, जो भारत में भी हैं, मैं उनमें से एक का नाम लेना चाहता हूँ। 'लैंटाना कैमरा' नाम का एक इन्वेसिव प्लांट है, जो 1800 ईस्वी में भारत आया था। आज हिमालयन रीजन, जिसको टाइगर रीजन कहा जाता है, उसके 1,54,000 स्क्वेयर किलोमीटर में यह प्लांट फैला हुआ है।इन्वेसिव प्लांट्स का हमारे क्लाइमेट पर, हमारी इकोनॉमी पर क्या प्रभाव पड़ता है? इनसे हमारी सॉयल की प्रोडक्टिविटी घटती है, हमारी एग्रिकल्चरल प्रोडक्टिविटी घटती है और हमारा क्लाइमेट परिवर्तित होता है। यदि इन इन्वेसिव प्लांट्स को समाप्त करने की बात हो रही है, जिनमें 350 से अधिक आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं, तो 3% ऐसे इन्वेसिव प्लांट्स भी हैं, जिनकी अभी तक हम जानकारी भी नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, चूंकि दशकों से, सदियों से ये प्लांट्स भारत में आते रहे हैं।

MR. CHAIRMAN: Hon. Member, you may continue tomorrow.

SHRI RAKESH SINHA: Thank you.